

इसे वेबसाइट [www.govtprint.nic.in](http://www.govtprint.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025—फाल्गुन 30, शक 1946

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

यह कि मेरा सही नाम हरीराम वंशकार (HARIRAM VANSHAKAR) पिता श्री किल्लू वंशकार (KILLU VANSHAKAR), निवासी— मं. नं. 136, पिरामिड टाउन, आधारशिला, बरखेड़ा पठानी, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.). यही सही नाम मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों / अभिलेखों में अंकित है। यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड में मेरा नाम हरी राम बंसल (HARI RAM BANSAL) पिता श्री किल्लू बंसल (KILLU BANSAL) त्रुटिवश अंकित हो गया है। प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम हरीराम वंशकार (HARIRAM VANSHAKAR) पिता श्री किल्लू वंशकार (KILLU VANSHAKAR) के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

आवेदक

(हरीराम वंशकार)  
(HARIRAM VANSHAKAR)  
पिता— श्री किल्लू वंशकार  
(KILLU VANSHAKAR).

(G-1077)

#### नाम परिवर्तन

मैं, दीपक शेलिया (Deepak Sheliya), निवासी—वार्ड नं. 14, पोस्ट चारूवा, जादोपुरा, जिला हरदा (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम दीपक शेलिया (Deepak Sheliya) है। आधार कार्ड में मेरा त्रुटिवश नाम दीपक शालिया (Deepak Shalliya) हो गया है। प्रकाशन उपरांत सही नाम दीपक शेलिया (Deepak Sheliya) ही प्रयोग करना चाहता हूँ। इसी नाम से जाना—पहचाना जावे।

आवेदक

(दीपक शेलिया)  
(DEEPAK SHELIYA).

(G-1078)

### नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री शिखा दुबे का घर का नाम स्नेहा दुबे है तथा भूलवश कुछ दस्तावेज में स्नेहा दुबे के नाम से बन गये हैं. जबकि मेरी पुत्री का सही नाम शिखा दुबे है. कृपया मेरी पुत्री को शिखा दुबे के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

आवेदिका

(किरण दुबे)

पत्नी—स्व. श्री कोसलेश दुबे

पता— जेल एवं रॉयल सिटी गेट के मध्य,  
विदिशा (म.प्र.).

(G-1079)

### नाम परिवर्तन

मैं, नवीन पाठक पुत्रं श्यामराव पाठक, निवासी—सिद्धेश्वर कालोनी झाबुआ, तहसील एवं ज़िला झाबुआ (म.प्र.). यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम नवीन कुमार पाठक दर्ज है जबकि मेरे अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नवीन पाठक दर्ज है. नवीन पाठक एवं नवीन कुमार पाठक यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम नवीन पाठक (Navin Pathak) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(नवीन कुमार पाठक)

(नवीन पाठक)

(NAVIN KUMAR PATHAK)

पुत्र—श्री श्यामराव पाठक.

(G-1080)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती डॉ. अमिता गुप्ता पति स्वर्गीय श्री डॉ. धीरज गुप्ता, निवासी—6, नंदगाँव नंदविहार तिलक नगर, इन्दौर (म.प्र.). मेरे पुत्र का पूर्व नाम ऐकांश गुप्ता (AEKANS GUPTA) है जो उसके जन्म प्रमाण—पत्र में अंकित है, मेरे द्वारा मेरे पुत्र का नाम परिवर्तन कर आर्यन गुप्ता (ARYAN GUPTA) कर लिया है. प्रकाशन उपरांत इसी नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(डॉ. अमिता गुप्ता)

पति— स्व. श्री डॉ. धीरज गुप्ता.

(G-1081)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जगदीश पिता श्री केदार सिंह, निवासी—ग्राम अमलाहा, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री नीतू के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रियांशी नाम अंकित हो गया है जो कि गलत है. जबकि उसका सही व वास्तिक नाम नीतू है. अतः प्रकाशन के पश्चात् नीतू नाम से जाना—पहचान, लिखा—पढ़ा जावे.

आवेदक

(जगदीश)

पिता— श्री केदार सिंह.

(G-1082)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम "अंशुल अहिरवार (Anshul Ahirwar)" है जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश "नवि सिंह अहिरवार" अंकित है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम "अंशुल अहिरवार (Anshul Ahirwar)" हैं, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित हैं। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को "अंशुल अहिरवार (Anshul Ahirwar)" के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम (नवि सिंह अहिरवार) (G-1083)	नया नाम "(अंशुल अहिरवार)" (ANSHUL AHIRWAR).
--	---

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुशी साबले पिता प्रभाकर साबले, निवासी—वार्ड न. 6 पानी की टंकी के पास, खजरी, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.). मेरा नाम खुशी साबले पिता प्रभाकर साबले है किन्तु आधार कार्ड में आँचल खुशी साबले नाम दर्ज है जो गलत है। अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में खुशी साबले नाम है जो सही है। प्रकाशन के बाद मुझे मेरे वास्तविक नाम खुशी साबले के नाम से जाना एवं पहचाना जावें जो सत्य एवं सही है।

पुराना नाम (आँचल खुशी साबले) (G-1084)	नया नाम (खुशी साबले).
---	--------------------------

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोज वर्मा प्रजापति पुत्र लक्ष्मीनारायण प्रजापति, निवासी—4 / 10, अलखनंदा ब्लाक केवरली लाइन फर्स्ट बटालियन इन्डौर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा (प्रजापति) अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम मनोज वर्मा प्रजापति पुत्र लक्ष्मीनारायण प्रजापति है जो कि सत्य एवं सही है। प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम मनोज वर्मा प्रजापति पुत्र लक्ष्मीनारायण प्रजापति के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम [मनोज कुमार वर्मा (प्रजापति)] (G-1085)	नया नाम (मनोज वर्मा प्रजापति) (MANOJ VERMA PRAJAPATI) पुत्र—श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापति.
---	---

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, मैं, जयादित्या पनिकर (JAYADITYA PANICKER) पिता श्री साजन पनिकर निवासी—हाउस नम्बर ए जी – 157, स्कीम न.54, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जयदित्या पनिकर (JAYADITYA PANICKER) दर्ज हो गया है एवं मेरे जन्म प्रमाण—पत्र पर त्रुटिवश मेरा नाम JAYADITYA PANIKER पिता का नाम SAJAN PANIKER माता का नाम NEETU PANIKER दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरा सही नाम JAYADITYA PANICKER (जयादित्या पनिकर) पिता का सही नाम साजन पनिकर (SAJAN PANICKER) एवं माता का सही नाम नीतू पनिकर (NEETU PANICKER) है जो कि सही एवं सत्य है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे जयादित्या पनिकर (JAYADITYA PANICKER) पिता साजन पनिकर (SAJAN PANICKER) माता नीतू पनिकर (NEETU PANICKER) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

आवेदक (G-1086)	(JAYADITYA PANICKER).
-------------------	-----------------------

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीकांत चौधरी पुत्र हरनारायण चौधरी, पता—ग्राम पचलावरा, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम भूमि चौधरी अंकित हो गया है जो कि गलत है जबकि उसका सही एवं वास्तविक नाम अर्निका चौधरी (Arnika Choudhary) पुत्री श्रीकांत चौधरी है जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं उसकी अंकसूची में भी दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम अर्निका चौधरी (Arnika Choudhary) पुत्री श्रीकांत चौधरी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(G-1087)

(श्रीकांत चौधरी).

### नाम परिवर्तन

मैं, "Shikha Singh Baghel" मेरे पुत्र "Adhitya Vardhan Singh Baghel" के शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम त्रुटिवश "Shikha Singh" दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम "शिखा सिंह बघेल (Shikha Singh Baghel)" है। यह कि मेरे आधार कार्ड में भी "Shikha Singh Baghel" नाम दर्ज है। उक्त दोनों ही नाम मेरे ही हैं। प्रकाशन उपरांत "Shikha Singh Baghel" के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(शिखा सिंह)

(शिखा सिंह बघेल).

Add.- D-13 C, Dwarikapuri,  
Near Khedapati Mandir

Gwalior (M.P.).

(G-1088)

### नाम परिवर्तन

मैं, "Ashish Baghel" मेरे पुत्र "Adhitya Vardhan Singh Baghel" की शैक्षणिक दस्तावेजों में नाम त्रुटिवश "Ashish Singh Baghel" दर्ज है जबकि मेरा वास्तविक नाम "आशीष बघेल (Ashish Baghel)" है। आधार कार्ड में भी "Ashish Baghel" नाम दर्ज है। उक्त दोनों नाम मेरे ही हैं यह कि प्रकाशन उपरांत "Ashish Baghel" के नाम से जाना—पहचाना एवं पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(आशीष सिंह बघेल)

(आशीष बघेल).

Add.- D-13 C, Dwarikapuri,  
Near Khedapati Mandir  
Gwalior (M.P.).

(G-1089)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शशिकांत साहू पिता बबू साहू पता—महात्मा गाँधी, वार्ड नं. 28, खिरकापुरा, तहसील व जिला छिन्दवाडा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम जन्म प्रमाण—पत्र में शीवायु साहू (SHEVAYU SAHU) पिता शशिकांत साहू है जो सही है। किन्तु आधार कार्ड में मनन साहू नाम दर्ज है जो गलत है। प्रकाशन के बाद मेरे पुत्र को उसके वास्तविक नाम शीवायु साहू (SHEVAYU SAHU) के नाम से जाना एवं पहचाना जावें जो सत्य एवं सही है।

प्रार्थी

(G-1090)

(शशिकांत साहू).

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती किरण माकोड़े पत्नी स्व. श्री रोशन माकोड़े, पता—रायआमला, मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). Ojasvi Makode (Ojasvi Makode) आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम औजस्वी माकोड़े (Aujsvi Makode) अंकित है जो कि भूलवश अंकित हो गया था। Ojasvi Makode जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम ओजस्वी माकोड़े (Ojasvi Makode) के नाम से जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

आवेदिका

(किरण माकोड़े).

(G-1091)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण हेतु सूचित हो कि मैं, दीपा बाई गौड़ पत्नी स्व. श्री घनश्याम गौड़, पता— कटक, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरी पुत्री आरती जिसका आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम काजल आदिवासी अंकित हो गया है जो गलत है। जबकि जन्म प्रमाण—पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में आरती है जो सही एवं सत्य है। अतः भविष्य में भी मेरी पुत्री को सही नाम आरती से ही जाना एवं पहचाना जावे।

आवेदिका

(दीपा बाई गौड़).

(G-1092)

### नाम परिवर्तन

मैं, पुनीत उपाध्याय पिता श्री गिरिश उपाध्याय निवासी— 4 पठेल नगर, सीताश्री कॉम्प्लेक्स के सामने, एरोडम रोड, इंदौर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र का पूर्व का नाम युवान उपाध्याय पिता श्री पुनीत उपाध्याय था जिसे मेरे द्वारा बदल कर ऋग्वेद उपाध्याय पिता श्री पुनीत उपाध्याय कर दिया गया है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋग्वेद उपाध्याय पिता श्री पुनीत उपाध्याय के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

आवेदक

(पुनीत उपाध्याय).

(G-1093)

### नाम परिवर्तन

मैं, उमेश कुमार तिवारी पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद तिवारी, निवासी—प्लाट नं. 05, कोच फैक्ट्री रोड, कृष्णा नगर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश शशिकांत तिवारी नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र पर आयुष तिवारी (AYUSH TIWARI) पुत्र उमेश कुमार तिवारी नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में सही नाम आयुष तिवारी (AYUSH TIWARI) पुत्र उमेश कुमार तिवारी से जाना—पहचाना वा लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(उमेश कुमार तिवारी).

(G-1094)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. स्नेहा संजय पिंपलकर पुत्री श्री संजय पिंपलकर निवासी—फेस—2, 41 गोल्डन सिटी जाटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.). डॉ. स्नेहा पिंपलकर मेरा नाम है जो सही एवं सत्य हैं। मैं, अपना नाम अब डॉ. स्नेहा संजय पिंपलकर करना चाहती हूं अतः अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

प्रार्थनी

(डॉ. स्नेहा संजय पिंपलकर).

(G-1095)

### नाम परिवर्तन

मैं, अक्ष जैन पिता दीपक जैन (Aksh Jain) सरपरस्त दीपक जैन पिता अशोक जैन निवासी—भालोट तह. मन्दसौर, जिला मन्दसौर सर्वसाधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम सूचित करता हूं कि पूर्व में मेरे पुत्र के समग्र आइडी, शैक्षणिक दस्तावेजों में अक्ष जैन दर्ज है। जो सही है किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में दिव्याश जैन नाम अंकित है। जो गलत है। प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र को अक्ष जैन (Aksh Jain) के नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जावे।

प्रार्थी

(दीपक जैन).

(G-1096)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती चिरौउरी शारदा (Chiravuri Sarada) पत्नी श्री चिरौउरी बाल गंगाधर पता—मकान नंबर—ई 366 मिनाल रेसिडेंसी, जे.के.रोड, भोपाल शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम सही नाम चिरौउरी शारदा (chiravuri sarada) दर्ज है। मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, जिसमें मेरा नाम सी एच शारदा (Ch-Sarada) दर्ज है, जो कि मेरा ही नाम है उपरोक्त चिरौउरी शारदा (Chiravuri Sarada) एवं सी एच शारदा (Ch-Sarada) दोनों मेरे ही नाम है, मेरा सही नाम चिरौउरी शारदा (Chiravuri Sarada) पढ़ा व समझा जाए मैं, भविष्य में इसी नाम से जानी—पहचानी जाऊँगी।

प्रार्थनी

(CHIRRAVURI SARADA).

(G-1097)

### नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र राठौड़ निवासी—ग्राम पीपलगोन तह. कसरावद खरगौन हाल मुकाम आजाद नगर खंडवा जिला खंडवा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटीवश उसका नाम रियांशी राठौड़ दर्ज है जो कि गलत है जबकि, उसका सही एवं वास्तविक नाम रिधिमा राठौड़ पुत्री जितेन्द्र राठौड़ है जो उसके शैक्षणिक रिकार्ड एवं जन्म प्रमाण—पत्र में दर्ज है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिधिमा राठौड़ पुत्री जितेन्द्र राठौड़ के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(जितेन्द्र राठौड़).

(G-1098)

### नाम परिवर्तन

मैं, रफीक खां पुत्र शेख नवाब निवासी—एस 101, सर्वधर्म नगर, करोंदकलां, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में त्रुटीवश मेरा नाम शेख रफीक पुत्र नवाब खां अंकित है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम रफीक खां पुत्र शेख नवाब है जो कि सत्य एवं सही है. जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम रफीक खां (Rafiq Khan) पुत्र शेख नवाब (Shekh Nawab) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शेख रफीक)	(रफीक खां)
पुत्र— नवाब खान	(RAFIQ KHAN)
	पुत्र—शेख नवाब
	(SHEKH NAWAB).

(G-1099)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम ममता बाथम, (MAMTA BATHAM) को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती ममता कश्यप (MAMTA KASHYAP) हो गया है. इससे पूर्व मेरा नाम ममता बाथम जो मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम श्रीमती ममता कश्यप (MAMTA KASHYAP) करा लिया गया है. मेरे समस्त दस्तावेजों में पूर्व का नाम ममता बाथम के रथान पर नया नाम श्रीमती ममता कश्यप (MAMTA KASHYAP) किया जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ममता बाथम)	(ममता कश्यप).

(G-1100)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकमल कुमरे (Rajkamal Kumre) पुत्र श्री हरिप्रसाद कुमरे (Hariprasad Kumre) निवासी—सी—23, रुस्तम जी आवासीय परिसर, जहाँगीराबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य कुछ दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम राजकमल कुमरे (Rajkamal Kumharre) पुत्र श्री हरिप्रसाद कुमरे (Hariprasad Kumharre) है एवं मेरे आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम राजकमल कुमरे (Rajkamal Kumre) पुत्र श्री हरिप्रसाद कुमरे (Hariprasad Kumre) है उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं, मेरा सही नाम राजकमल कुमरे (Rajkamal Kumre) पुत्र श्री हरिप्रसाद कुमरे (Hariprasad Kumre) है मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजकमल कुमरे)	(राजकमल कुमरे)
(RAJKAMAL KUMHARRE)	(RAJKAMAL KUMRE)
पुत्र—श्री हरिप्रसाद कुमरे	पुत्र— श्री हरिप्रसाद कुमरे
(HARIPRASAD KUMHARRE)	(HARIPRASAD KUMRE).

(G-1101)

### नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार कुशराम पिता श्री सोनू सिंह कुशराम मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजकुमार गौड़ पिता सोनू सिंह कुशराम दर्ज है जो कि गलत है। मेरा सही नाम मेरे आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में राजकुमार कुशराम पिता श्री सोनू सिंह कुशराम दर्ज है। अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा सही नाम राजकुमार कुशराम पिता श्री सोनू सिंह कुशराम दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(राजकुमार गौड़)	(राजकुमार कुशराम)
(G-1102)	पिता— श्री सोनू सिंह कुशराम.

### नाम परिवर्तन

मैं, विद्या साहू पत्नी स्वर्गीय भैया लाल साहू निवासी—म नं. 1518 / 7A, नव निवेश कॉलोनी, गंगा नगर, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में विद्यावती साहू नाम दर्ज है जो कि गलत है, जबकि सही व वास्तविक नाम विद्या साहू (VIDYA SAHU) पत्नी स्वर्गीय भैया लाल साहू है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय समरत दस्तावेजों में विद्या साहू पत्नी स्वर्गीय भैया लाल साहू के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(विद्यावती साहू)	(विद्या साहू)
(G-1103)	(VIDYA SAHU) पत्नी—स्वर्गीय भैया लाल साहू

### उपनाम परिवर्तन

मैं, विजय सिंह वर्मा (VIJAY SINGH VERMA) पिता श्री हीरालाल, निवासी—ग्राम मदोरी, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) वर्तमान में मेरा नाम विजय सिंह वर्मा (VIJAY SINGH VERMA) है जो कि मेरे शैक्षणिक, शासकीय दस्तावेजों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। यह कि मैं, अपने शासकीय रिकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में अपना नाम/सरनेम परिवर्तित कर विजय सिंह वर्मा (VIJAY SINGH VERMA) के स्थान पर विजय सिंह दांगी (VIJAY SINGH DANGI) दर्ज करवाना चाहता हूं। यह कि भविष्य में मुझे मेरे नये नाम/सरनेम विजय सिंह दांगी (VIJAY SINGH DANGI) के नाम से जाना—पहचाना, एवं पुकारा जावे।

प्रार्थी
(विजय सिंह दांगी)
(VIJAY SINGH DANGI).

(G-1104)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बदुसिंह चौहान पुत्र नाना चौहान निवासी—चौहान फलिया, ग्राम बोरकुण्डिया, तह. चन्द्रशेखर आजाद नगर, (भाभरा) जिला अलीराजपुर (म.प्र.). यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम बदिया चौहान दर्ज है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम बदुसिंह चौहान पुत्र नाना चौहान है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि दस्तावेजों में भी दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम बदुसिंह चौहान पुत्र नाना चौहान के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(बदिया चौहान)	(बदुसिंह चौहान)
(G-1105)	पुत्र— श्री नाना चौहान.

### नाम परिवर्तन

मैं, अमित कुमार पिता श्री गोपाल प्रसाद दुबे, निवासी-०९, ग्राम इटवा खुर्द, पोस्ट हथना, तह. एवं जिला दमोह (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मानव दुबे नाम दर्ज है। मैं, अपने पुत्र का नाम परिवर्तन कर समर्थ दुबे करना चाहता हूँ, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को समर्थ दुबे के नाम से जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(अमित कुमार)

पता— म.नं. ५३ गली नं. ०४,  
कृष्णा नगर, कोच फैक्ट्री रोड,  
भोपाल (म.प्र.).

(G-1106)

### नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह ताराम (MAHENDRA SINGH TARAM), पिता श्री मदन सिंह (SHRI MADAN SINGH) निवासी-ब्लाक नंबर-४, जे. बी. कॉम्प्लेक्स, गढ़ा रोड, बी.टी. तिराहा, गुलौआ, पुरवा, जिला जबलपुर, (म.प्र.). मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, मैं उसका नाम कुमारी अनुष्का ताराम (KUMARI ANUSHKA TARAM) पिता श्री महेन्द्र सिंह ताराम (SHRI MAHENDRA SINGH TARAM) दर्ज है तथा मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम अनुष्का सिंह ताराम (ANUSHKA SINGH TARAM) पिता श्री महेन्द्र सिंह ताराम (SHRI MAHENDRA SINGH TARAM) दर्ज है। मैं, अपनी पुत्री का नाम शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज नाम अनुष्का सिंह ताराम (ANUSHKA SINGH TARAM) पिता श्री महेन्द्र सिंह ताराम (SHRI MAHENDRA SINGH TARAM) दर्ज कराना चाहता हूँ उक्त दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता की पुत्री के हैं दोनों ही नामों से मेरी पुत्री को जाना-पहचाना जाता है प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को अनुष्का सिंह ताराम (ANUSHKA SINGH TARAM) पिता श्री महेन्द्र सिंह ताराम (SHRI MAHENDRA SINGH TARAM) किया जावे तथा मुझे इस नाम से जाना व पहचाना जावे।

प्रार्थी

(महेन्द्र सिंह).

(G-1107)

### नाम परिवर्तन

मैं, जीवन सिंह (Jeevan Singh) पिता सरदार सिंह निवासी-अहमदपुर, गौहरगंज, रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र का नाम तनिश कुडोपे (Tanish Kudope) है, जो जन्म प्रमाण-पत्र पर दर्ज है। जो सही है अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम तनिश कुडोपे (Tanish Kudope) पुत्र जीवन सिंह (Jeevan Singh) के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(जीवन सिंह)

(JEEVAN SINGH).

(G-1108)

### उपनाम परिवर्तन

मैं, आशीष कुमार आत्मज श्री कैलाश चंद्र, पता—ग्राम रनायल पोस्ट रनायल तहसील कालापीपल, जिला शाजापुर (म.प्र.). वर्तमान में मेरा नाम आशीष कुमार (ASHISH KUMAR) है, जो कि मेरे शैक्षणिक/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। यह कि मैं, अपने शासकीय रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजों में अपना नाम परिवर्तित कर आशीष कुमार के स्थान पर आशीष कुमार कलमोदिया (ASHISH KUMAR KALMODIYA) कराना चाहता हूँ भविष्य में मुझे मेरे नये नाम/सरनेम आशीष कुमार कलमोदिया (ASHISH KUMAR KALMODIYA) के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाये।

पुराना नाम

(आशीष कुमार)

नया नाम

(आशीष कुमार कलमोदिया)  
(ASHISH KUMAR KALMODIYA).

(G-1109)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिनव वार्ष्ण्य आत्मज श्री जे. के. वार्ष्ण्य, पता – म. नं. एफ-1, ए-68, कमला नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल (म.प्र.). मेरा पुत्र विवेक वारषनेय (Vivek Varshney) आज से आदित्य वार्ष्ण्य (Aditya Varshney) के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा बोला जायेगा।

आवेदक

(अभिनव वार्ष्ण्य)  
(ABHINAV VARSHNEY).

(G-1110)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स मिथ्या ग्रुप्प पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीयन क्रमांक 03-27-01-0444-22 पर पंजीकृत है। यह कि फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 23-3-2021 को फर्म के साझेदार श्री मनीष चौहान पिता श्री प्रताप सिंह चौहान, निवासी-384 / 12, मेघदूत नगर, इंदौर (म.प्र.) ने खेच्छा से त्यागपत्र दिया है व इसी दिनांक 23-3-2021 से फर्म में अजय अग्रवाल पिता श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, निवासी-06 / सी, वीणा नगर, इंदौर (म.प्र.) साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं एवं दिनांक 7-6-2024 को फर्म में श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर पिता श्री उदय सिंह ठाकुर एवं श्री आदित्य सिंह पिता श्री शैलेन्द्र सिंह दोनों निवासी-37-बी, चंद्र नगर, इंदौर (म.प्र.) ने साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एकट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ।

मेसर्स मिथ्या ग्रुप्प

**HARVINDER SINGH BEDI**

(भागीदार).

(G-1111)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कब्बाल खान (KAWWAL KHAN) पिता मोहम्मद खान है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर दर्ज है किंतु मेरे पुत्र रिहान खान (RIHAN KHAN) के कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर पिता के स्थान पर त्रुटिवश मेरा नाम कलीम खान (KALIM KHAN) दर्ज हो गया है जो कि गलत है। प्रकाशन के पश्चात् भविष्य में मेरे पुत्र रिहान खान (RIHAN KHAN) के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर पिता के स्थान पर मेरा सही नाम कब्बाल खान (KAWWAL KHAN) लिखा व पढ़ा जावे एवं मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना व संबोधित किया जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(कलीम खान)

(कब्बाल खान)

(KALIM KHAN)

(KAWWAL KHAN)

पिता— मोहम्मद खान

पता—ग्राम सरफराबाद, पगारा, धरमपुरी, तहसील धरमपुरी, धार (म.प्र.).

(G-1112)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम शौर्य बडगोत्या (SHOURYA BADGOTYA) पिता दिलीप बडगोत्या था जो कि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं आधार कार्ड पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर समर्थ बडगोत्या (SAMARTH BADGOTIYA) कर लिया है जो उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर शौर्य बडगोत्या के स्थान पर उसका परिवर्तित नाम समर्थ बडगोत्या (SAMARTH BADGOTIYA) पिता दिलीप बडगोत्या लिखा—पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम  
(शौर्य बडगोत्या)  
(SHOURYA BADGOTYA)

नया नाम  
(समर्थ बडगोत्या)  
(SAMARTH BADGOTIYA)  
पिता— श्री दिलीप बडगोत्या  
पता—6, नारायण पुरा,  
लालबहादुर शास्त्री मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)

(G-1113)

### SURNAME OF CHANGE

I, Megha Jain D/o Chandrapal Jain, formerly known as Megha Bhandari, hereby inform the general public that earlier my son's name was recorded as Atharv Bhandari (Son of Puneet Bhandari and Megha Bhandari) in official documents including his Birth Certificate, Aadhaar Card, Passport and Educational Records. However after my divorce with Puneet Bhandari, my son's name has been changed to Atharv Jain S/o Megha Jain, Therefore from now onwards, he will be known, recognized and addressed as Atharv Jain in all legal, official and general purpose records and references.

Old Name	New Name
<b>(ATHARV BHANDARI)</b>	<b>(ATHARV JAIN)</b>
	S/o Megha Jain
	Add.- 84-J, Sector A, Scheme No. 71, Near Gumasta Nagar, Indore (M.P.).

(G-1114)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ADITYA MISHRA S/o ANAND KUMAR MISHRA है. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम ANAND KUMAR MISHRA दर्ज है, आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरे पिता का नाम ANAND MISHRA दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत ADITYA MISHRA S/o ANAND KUMAR MISHRA के नाम से जाना—पहचाना जाए.

प्रार्थी  
**(ADITYA MISHRA)**  
S/o ANAND KUMAR MISHRA.  
निवासी— मकान नं. 10,  
शिवलोक, फेस—5, दीप नगर, अवधपुरी,  
भोपाल (म.प्र.).

(G-1115)

### नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र अहिरवार आत्मज श्री रामभरोसे अहिरवार निवासी— ग्राम बर्डी गुर्जर, पोस्ट धमरा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम जितेन्द्र अहिरवार आत्मज श्री रामभरोसे अहिरवार दर्ज है. मेरे नये आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम जगदीश पुत्र श्री दौलत सिंह दर्ज हो गया है. जो कि गलत है, अब जगदीश पुत्र श्री दौलत सिंह के स्थान पर मेरा नाम जितेन्द्र अहिरवार आत्मज श्री रामभरोसे अहिरवार पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम

(जगदीश)

पुत्र—श्री दौलत सिंह

नया नाम

(जितेन्द्र अहिरवार)

आत्मज— श्री रामभरोसे अहिरवार.

(G-1116)

### नाम परिवर्तन

मैं, हरिराम पुत्र श्री विक्रम, निवासी—374, नवीन छावनी पठार, आदमपुर छावनी, रायसेन रोड भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र राजवीर जायसवार के नवीन आधार कार्ड में उसका नाम राजीव जायसवार दर्ज है. जबकि अन्य सभी दस्तावेजों में मेरे पुत्र का नाम राजवीर जायसवार पुत्र हरिराम दर्ज है. प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम राजवीर जायसवार पुत्र हरिराम पढ़ा एवं लिखा जावे.

प्रार्थी

(हरिराम)

पुत्र—श्री विक्रम.

(G-1117)

### नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार पुत्र श्री विससु लाल, पता— ग्राम बाया, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश यश इवने नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर राधे इवने (RADHE IVNE) नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम राधे इवने (RADHE IVNE) पुत्र श्री संतोष कुमार से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(संतोष कुमार).

(G-1118)

### नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नीबाई पवार पत्नी श्री साहेबलाल पवार, पता—म.नं.—301, झोलखेड़ा, तहसील मुलताई, जिला बैतूल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश रामकली बाई पवार नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे मतदाता पहचान—पत्र पर मुन्नीबाई पवार (MUNNIBAI PAWAR) पत्नी श्री साहेबलाल पवार नाम दर्ज है जो कि सही है, अतः राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय / व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम मुन्नीबाई पवार (MUNNIBAI PAWAR) पत्नी श्री साहेबलाल पवार से जाना—पहचाना व लिखा—पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामकली बाई पवार)

नया नाम

(मुन्नीबाई पवार)

(MUNNIBAI PAWAR)

पत्नी— श्री साहेबलाल पवार.

(G-1119)

### नाम परिवर्तन

मैं, धन्नालाल पुत्र गुलाब सिंह, पता—पोस्ट छतरी, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश सोनाक्षी नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र एवं शैक्षिक दस्तावेजों पर सोनाली (SONALI) पुत्री धन्नालाल नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में सोनाली (SONALI) पुत्री धन्नालाल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(धन्नालाल)

पुत्र—गुलाब सिंह।

(G-1120)

### नाम परिवर्तन

मैं, राजमल अहिरवार पुत्र बद्रीप्रसाद, पता— ग्राम सुल्तानपुरा, चरनाल, जिला सीहोर (म.प्र.). यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश शरद नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण—पत्र पर अनुज अहिरवार (ANUJ AHIRWAR) पुत्र राजमल अहिरवार नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में अनुज अहिरवार (ANUJ AHIRWAR) पुत्र राजमल अहिरवार के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

प्रार्थी

(राजमल अहिरवार)

पुत्र—श्री बद्रीप्रसाद।

(G-1121)

### नाम परिवर्तन

मैं, डॉली बघेल (DOLLY BAGHEL) पत्नी हिमांशु बघेल, पता—म. नं. 51/2, ग्राम पंचायत लालपुर, जनपद पंचायत बरघाट, जिला सिवनी (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम DALI BAGHEL नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जबकि मेरा नाम डॉली बघेल (DOLLY BAGHEL) पत्नी हिमांशु बघेल है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में डॉली बघेल (DOLLY BAGHEL) पत्नी हिमांशु बघेल के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(DALI BAGHEL)

नया नाम

(डॉली बघेल)

(DOLLY BAGHEL)

पत्नी— श्री हिमांशु बघेल।

(G-1122)

### नाम परिवर्तन

मैं, संदीप सिंह ठाकुर (SANDEEP SINGH THAKUR) पुत्र अंतर सिंह ठाकुर, पता—म. नं. 30, राजीव नगर, सेमरा, हुजूर, (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश पवित्र सिंह सोलंकी नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पेन कार्ड में संदीप सिंह ठाकुर (SANDEEP SINGH THAKUR) पुत्र अंतर सिंह ठाकुर दर्ज है, जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में संदीप सिंह ठाकुर (SANDEEP SINGH THAKUR) पुत्र अंतर सिंह ठाकुर के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(पवित्र सिंह सोलंकी)

नया नाम

(संदीप सिंह ठाकुर)

(SANDEEP SINGH THAKUR)

पुत्र—श्री अंतर सिंह ठाकुर।

(G-1123)

### नाम परिवर्तन

मैं, आशीष मीना (ASHISH MEENA) पुत्र रतिराम मीना, पता—202, कालापानी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश कैलाश मीना (KAILASH MEENA) नाम दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण—पत्र में आशीष मीना (ASHISH MEENA) पुत्र रतिराम मीना नाम दर्ज है जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में आशीष मीना (ASHISH MEENA) पुत्र रतिराम मीना के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(कैलाश मीना)

(G-1124)

नया नाम  
(आशीष मीना).  
(ASHISH MEENA)

पुत्र— श्री रतिराम मीना।

### नाम परिवर्तन

मैं, अरविन्द कुमार पालीवाल, पता—पालीवाल मोहल्ला, ग्राम रामपुरिया, पोस्ट शिवपुर, जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थी की पुत्री भव्या पालीवाल की शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम अरविन्द पालीवाल (ARVIND PALIWAL) दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम अरविन्द कुमार पालीवाल (ARVIND KUMAR PALIWAL) है। प्रकाशन के उपरांत इसी नाम से जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा एवं दर्ज किया जावे।

(G-1125)

प्रार्थी  
(अरविन्द कुमार पालीवाल).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड पूर्व में मेरा नाम सुमित्रा अंकित हो गया है जो गलत है, मेरा सही नाम सुनीता राठौड़ पति शांतिलाल राठौड़ है। अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे।

(G-1126)

प्रार्थीनी  
(सुनीता राठौड़)  
पता— ग्राम मुरादाबाद, कसरावद,  
जिला खरगोन (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में मेरा नाम चमन लाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम चमनलाल माहेश्वरी पिता प्रहलाददास माहेश्वरी है। अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे।

(G-1127)

प्रार्थी  
(चमनलाल माहेश्वरी)  
पता— ग्राम सांवर,  
जिला इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आधार कार्ड में मेरा नाम योगेश अंकित हो गया है, जो कि गलत है, मेरा सही नाम हरिओम पांचाल पिता सुरेश पांचाल है। अतः मुझे इसी नाम से जाना जावे।

(G-1128)

प्रार्थी  
(हरिओम पांचाल)  
पता— ग्राम राजोदा,  
जिला इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, अजय कुमार आत्मज श्री बालाराम कनोजिया, निवासी—म. नं. 217/2, पंचायती कुंआ के पास, वार्ड नंबर 47, हनुमान मंदिर के पीछे, गोकलपुर, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अजय कुमार एवं पिता का नाम बालाराम कनोजिया दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम अजय कुमार कनोजिया एवं पिता का नाम बालाराम कनोजिया दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम अजय कुमार कनोजिया एवं पिता का नाम बालाराम कनोजिया दर्ज कराना चाहता हूँ, मुझे अजय कुमार कनोजिया पिता बालाराम कनोजिया के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(अजय कुमार)	(अजय कुमार कनोजिया)
पिता— बालाराम कनोजिया	पिता— बालाराम कनोजिया।

(G-1129)

### नाम परिवर्तन

मैं, उमेश प्रसाद आत्मज श्री दीपचन्द रजक, निवासी—म.न. 2320/77, कृष्ण कालोनी, धोबीघाट कजरवारा, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम उमेश प्रसाद पिता का नाम श्री दीपचन्द रजक दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम उमेश प्रसाद रजक पिता श्री दीपचन्द रजक दर्ज है, मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम उमेश प्रसाद रजक पिता श्री दीपचन्द रजक दर्ज कराना चाहता हूँ, मुझे उमेश प्रसाद रजक पिता श्री दीपचन्द रजक के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(उमेश प्रसाद)	(उमेश प्रसाद रजक)
(G-1130)	पिता—श्री दीपचन्द रजक।

### उपनाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार (MANOJ KUMAR) पिता स्व. नत्थू लाल, निवासी—एचए—३, १६ क्वार्टर, ६वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी, थाना रांझी, तह. रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनोज कुमार (MANOJ KUMAR) पिता स्व. नत्थू लाल दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम मनोज कुमार बरार (MANOJ KUMAR BARAR) पिता स्व. नत्थू लाल बरार दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम मनोज कुमार बरार (MANOJ KUMAR BARAR) पिता स्व. नत्थू लाल बरार संशोधित कर दर्ज करवाना चाहता हूँ, अतः मुझे मनोज कुमार बरार (MANOJ KUMAR BARAR) पिता स्व. नत्थू लाल बरार के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(मनोज कुमार)	(मनोज कुमार बरार).
(G-1131)	पिता—स्व. नत्थू लाल बरार।

### नाम परिवर्तन

मैं, गणेश कुमार (GANESH KUMAR) पिता स्व. रमापति तिवारी, निवासी—६वीं, बटालियन, पुरानी फैमली लाईन, एस.ए.एफ. रांझी, थाना रांझी, तह. रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गणेश कुमार (GANESH KUMAR) पिता स्व. रमापति तिवारी दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम गणेश तिवारी (GANESH TIWARI) पिता स्व. रामपति तिवारी दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम गणेश तिवारी (GANESH TIWARI) पिता स्व. रामपति तिवारी संशोधित कर दर्ज करवाना चाहता हूँ, अतः मुझे गणेश तिवारी (GANESH TIWARI) पिता स्व. रामपति तिवारी के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(गणेश कुमार)	(गणेश तिवारी).
(G-1132)	पिता—स्व. रामपति तिवारी।

### नाम परिवर्तन

मैं, वीरेन्द्र कुमार घनसेला आत्मज स्व. चन्द्रमणी घनसेला, निवासी—बुद्ध काढी का बाड़ा, मानेगांव, पोर्ट खमरिया, थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम वीरेन्द्र कुमार घनसेला पिता श्री चन्द्रमणी घनसेला है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम वीरेन्द्र घनसेला दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम वीरेन्द्र घनसेला संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ, मुझे वीरेन्द्र घनसेला के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(वीरेन्द्र कुमार घनसेला)	(वीरेन्द्र घनसेला).

(G-1133)

### नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पराज कुशवाह आत्मज श्री रामबिहारी कुशवाह, निवासी—क्वार्टर नंबर आई 26, 60, क्वार्टर, 6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. थाना रांझी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम पुष्पराज कुशवाह एवं पिता का नाम रामबिहारी कुशवाह दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पुष्पराज कुशवाहा पिता का नाम रामबिहारी कुशवाहा दर्ज है। मैं, अपने सर्विस रिकार्ड में अपना नाम पुष्पराज कुशवाहा एवं पिता का नाम रामबिहारी कुशवाहा संशोधित कर दर्ज कराना चाहता हूँ, अतः मुझे पुष्पराज कुशवाहा (PUSHPRAJ KUSHWAHA) पिता श्री रामबिहारी कुशवाहा (RAMBIHARI KUSHWAHA) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(पुष्पराज कुशवाह)	(पुष्पराज कुशवाहा)
(PUSHPRAJ KUSHWAHA)	(PUSHPRAJ KUSHWAHA)
पिता— रामबिहारी कुशवाह	पिता— रामबिहारी कुशवाहा
(RAMBIHARI KUSHWAHA)	(RAMBIHARI KUSHWAHA).

(G-1134)

### नाम परिवर्तन

मैं, सुरक्षा ठाकुर (SURAKSHA THAKUR) पुत्री भगवत ठाकुर, पता—58 जी, गोपालपुर, डूमर, बरेली, जिला रायसेन (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश समीक्षा नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में सुरक्षा ठाकुर (SURAKSHA THAKUR) नाम दर्ज है। जो कि सही है। अतः प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में सुरक्षा ठाकुर (SURAKSHA THAKUR) पुत्री भगवत ठाकुर के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(समीक्षा)	(सुरक्षा ठाकुर)
	(SURAKSHA THAKUR)
	पुत्री— श्री भगवत ठाकुर.

(G-1135)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम BRAJANDRA SINGH YADAV है, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं राशन कार्ड आदि में दर्ज है जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऑनलाइन आधार अपडेट करवाते समय त्रुटिवश BUNDEL SINGH YADAV दर्ज हो गया था। BRAJANDRA SINGH YADAV एवं BUNDEL SINGH YADAV मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरांत मुझे BRAJANDRA SINGH YADAV के नाम से जाना—पहचाना, लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
(BUNDEL SINGH YADAV)	(BRAJANDRA SINGH YADAV)
	S/o HARNAM SINGH YADAV
	R/o Gram Meghona Bada, Post Bijroni,
	Shivpuri (M.P.).

(G-1136)

### नाम परिवर्तन

प्रार्थी कन्हैयालाल धाकड़ पिता रामलाल निवासी—217, वार्ड नं. 14, ग्राम पल्दुना, तह. व जिला रतलाम (म.प्र.). मुझ प्रार्थी के पुत्र के जन्म प्रमाण—पत्र में पुत्र का नाम जयंती लाल धाकड़ अंकित है, किन्तु आधार कार्ड में गौरव अंकित हो गया है. दोनों नाम मेरे पुत्र के ही हैं. भविष्य में मेरे पुत्र को जयंती लाल धाकड़ पिता कन्हैयालाल धाकड़ के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(कन्हैयालाल धाकड़).

(G-1137)

### नाम परिवर्तन

मैं, अनुरुद्ध सिंह पुत्र लालसिंह गौड़, निवासी—वार्ड न. 4, रहली, तह. रहली, जिला सागर (म.प्र.). यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनुरुद्ध सिंह गौड़ Anurudd Singh Gound अंकित हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही नाम अनुरुद्ध सिंह (Anurudha Singh) है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अनुरुद्ध सिंह (Anurudha Singh) के नाम से जाना—पहचाना एवं लिखा—पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(अनुरुद्ध सिंह गौड़)

(अनुरुद्ध सिंह)

(ANURUDD SINGH GOUND)

(ANURUDHA SINGH)

पिता— लालसिंह गौड़.

(G-1138)

### नाम परिवर्तन

यह कि, मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में मेरा नाम कुसुम देवी लूनिया (KUSUM DEVI LUNIA) दर्ज है. तथा शेयर सर्टिफिकेटों में मेरा नाम KUSUM LUNIA दर्ज है. तथा कुसुम लूनिया (KUSUM LUNIA) एवं कुसुम देवी लूनिया (KUSUM DEVI LUNIA) दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही महिला के नाम हैं तथा मुझे वर्तमान एवं भविष्य में कुसुम देवी लूनिया (KUSUM DEVI LUNIA) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थिनी

(कुसुम देवी लूनिया)

पता—74, कचन बाग,

इन्दौर (म.प्र.).

(G-1139)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती विनीता सक्सेना निगम मेरा विवाह पूर्व का नाम कुमारी विनीता सक्सेना पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद सक्सेना था. मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में पूर्व का नाम अंकित है, मेरा विवाह हिन्दू रिति—रिवाज से श्री आलोक कुमार निगम के साथ सम्पन्न हुआ था. विवाह के बाद मेरा परिवर्तित नाम श्रीमती विनीता सक्सेना निगम पत्नी श्री आलोक कुमार निगम कर लिया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना—पहचाना जाये एवं मेरे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में यही पढ़ा जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(कुमारी विनीता सक्सेना)

(विनीता सक्सेना निगम)

निवासी— एफ-1, कम्फर्ट गार्डन, चूना भट्टी, कोलार रोड, जिला भोपाल (म.प्र.).

(G-1140)

### नाम परिवर्तन

मैं, अवनी जोशी पिता श्री अनिल कुमार शर्मा, निवासी—45 कम्फर्ट हेरिटेज, अयोध्या बायपास रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). पूर्व में अवनी जोशी पिता श्री अनिल कुमार शर्मा के नाम से जानी जाती थी। इस जाहिर सूचना के माध्यम से अवगत करानी चाहती हूं कि मुझे अब अवनी शर्मा पिता श्री अनिल कुमार शर्मा के नाम से ही जाना जावे।

प्रार्थिता

(अवनी जोशी)

द्वारा दत्तक संरक्षक  
पिता—अनिल कुमार शर्मा

(G-1141)

### नाम परिवर्तन

मैं, SEEMA MOIN पत्नी MOIN AHMED, निवासी—H.NO. 182-A, HAZRAT NIZAMUDDIN COLONY, GRAM NARELA SHANKARI, BHOPAL (M.P.). यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम SEEMA NUSRAT D/o MISBAH UL HASAN था, विवाह पश्चात् मेरा नाम SEEMA MOIN पत्नी MOIN AHMED हो गया है। जहां कहीं भी मेरा नाम SEEMA NUSRAT D/o MISBAH UL HASAN दर्ज है उसके स्थान पर मेरा नाम SEEMA MOIN पत्नी MOIN AHMED पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(SEEMA NUSRAT)

(SEEMA MOIN)

पत्नी—MISBAH UL HASAN

पत्नी— MOIN AHMED.

(G-1142)

### नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र यशवर्धन विश्वकर्मा, निवासी—50A, विद्यापति नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन के दस्तावेजों में उनके नाम यशवर्धन विश्वकर्मा का अंग्रेजी में अक्षर विन्यास YASHWARDHAN VISHWAKARMA है। चूंकि उनके नाम का अंग्रेजी में सही अक्षर विन्यास YASHVARDHAN VISHWAKARMA है, इसलिए यशवर्धन विश्वकर्मा के दस्तावेजों में अब उनके नाम का अंग्रेजी में अक्षर विन्यास YASHVARDHAN VISHWAKARMA लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

नया नाम

(YASHWARDHAN VISHWAKARM)

(YASHVARDHAN VISHWAKARMA).

(G-1143)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, जूनी इन्डौर क्षेत्र, जिला इन्डौर, मध्यप्रदेश

जूनी इन्डौर, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम, 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 6897—रीडर—1—2024.— आवेदक सारको फाउण्डेशन पता—7, मंगल नगर, ऐ.बी. रोड, इन्डौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एकट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर विचार नहीं किया जावेगा:—

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक सारको फाउण्डेशन, पता—7, मंगल नगर, ऐ.बी. रोड, इन्डौर

अचल संपत्ति — निरंक

चल संपत्ति — 11,000/-

आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया।

(G-1144)

जूनी इन्डौर, दिनांक 20 फरवरी 2025

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एकट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 8562—रीडर—1—2025.— आवेदक मध्यप्रदेश साहू समाज धार्मिक, शैद्वाणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट (न्यास) पता—12, निर्मल नगर, पिपल्याहाना मेन रोड, इन्डौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एकट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर विचार नहीं किया जावेगा:—

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल संपत्ति का विवरण)

आवेदक मध्यप्रदेश साहू समाज धार्मिक, शैद्वाणिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट (न्यास) पता—12, निर्मल नगर, पिपल्याहाना मेन रोड, इन्डौर

अचल संपत्ति — निरंक

चल संपत्ति — 11,000/-

आज दिनांक 20 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रकाशित किया गया।

(G-1145)

जूनी इन्डौर, दिनांक 3 मार्च 2025

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 : तीस : (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र. 8665—रीडर—1—2025.—आवेदक शक्ति एज्युकेशन ट्रस्ट पता—354, साकेत नगर, इन्डौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यालय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर विचार नहीं किया जावेगा:—

#### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल—चल संपत्ति का विवरण)

शक्ति एज्युकेशन ट्रस्ट पता—354, साकेत नगर, इन्डौर

अचल संपत्ति — निरंक

चल संपत्ति — 10,000/-

आज दिनांक 3 फरवरी, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(G-1146)

प्रदीप सोनी, रजिस्ट्रार

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी, कोठी महल, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 4 मार्च 2025

प्रारूप—चार

[नियम—5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) का धारा 5 की उपधारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1)]

प्रति,

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष

क्र. 824—रीडर—1—2025.—चूंकि आवेदक—सचिव धनसिंह परमार पिता बापूसिंह परमार निवासी 5, कोठी महल उज्जैन द्वारा “क्षेत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ, सार्वजनिक न्यास के स्थान पर क्षेत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ, सार्वजनिक न्यास” कार्यालय—27—28, इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 27 मार्च 2025 को दोपहर 03:00 बजे स्थान—समाज भवन विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल के सामने स्थित संयुक्त तहसील भवन कोठी महल के भू—तल के कक्ष क्रमांक 5 में विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः, मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोठी महल, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 27 मार्च 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा:—

### अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास वर्तमान का नाम	—	“क्षैत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ, सार्वजनिक न्यास”
न्यास नवीन का नाम	—	“क्षैत्रिय ग्रामीण राजपूत समाज उत्थान संघ, सार्वजनिक न्यास”
कार्यालय	—	27–28, इंदिरा नगर नागझिरी उज्जैन
अचल—संपत्ति	—	464.51 वर्गमीटर (10 वर्गमीटर पर कच्चा झोपड़ा+शेष खुली भूमि)
चल—संपत्ति	—	वर्तमान में न्यास ने अपने पास चल संपत्ति 1,12,00/- दर्शाई है।

(G-1147)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 28 फरवरी 2025

प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 0004—बी—113(1)—2024—2025.— जैसा कि स. हूनासिंह पिता मांगीलाल निवासी ग्राम कुमठा तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास—संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन—पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 7 अप्रैल 2025 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता—अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा:—

### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता — “गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी कुमठा”  
तहसील व जिला खण्डवा

अचल संपत्ति — निरंक  
चल संपत्ति — निरंक

(G-1148)

बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, तहसील पंधाना, मध्यप्रदेश

पंधाना, दिनांक 25 फरवरी 2025

प्रारूप—चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2), एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 5(1) के अंतर्गत]

प्र.क्र. 02-बी-113-2024-25.— जैसा कि, श्री आवेदक कार्यकारी अध्यक्ष शेख अंगुर मनिहार पिता शेख अब्बास नुरानी मस्जिद सुन्नी मुस्लिम चेरीटेबल ट्रस्ट ग्राम बगमार ने अनुसूची में दर्शित सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है। एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन—पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 28 मार्च 2025 को विचार किया जायेगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता—अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:—

### अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता —	नुरानी मस्जिद सुन्नी मुस्लिम चेरीटेबल ट्रस्ट ग्राम बगमार
चल संपत्ति	कुल वार्षिक आय 1,20,000/-
अचल संपत्ति	निरंक

(G-1149)

दिनेश सावले, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जुन्नारदेव, मध्यप्रदेश

जुन्नारदेव, दिनांक 8 अप्रैल 2025

मौजा—जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव

प्रारूप—चार

जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

[नियम 5 (1) देखें]

सुनवाई दिनांक 8 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) का धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

रा.प्र.क्र. 0002-बी-113 (1)-2024-2025.— चूंकि श्री खण्डेश्वर महादेव समिति, बावली वार्ड क्रमांक-03 जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष अभय कुमार पिता स्व. श्री मधुकर तेंतंग, जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल—अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन—पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतदद्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त आवेदन—पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना—पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं या अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:—

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम — श्री खण्डेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, बावली, वार्ड क्रमांक-03 जुन्नारदेव.

नाम वस्तु (1)	सम्पत्ति का विवरण (2)
1. चल संपत्ति	चांदी के मुकुट—02 नग, सोने के आभूषण, अष्टधातु का घण्टा 05 नग, स्टील के धातु की भोजन थाली 500 नग एवं फाइबर भोजन थाली 250 नग, लोहे की धातु की कढ़ाई—01 नग, स्टील की धातु का बड़ा गंज एवं ऐल्युमीनियम के गंज—02 नग, गैस भट्टी लोहे की 01 नग, ऐम्पिलफायर—01 नग एवं बॉक्स 02 नग (आहूजा), स्टील की धातु के गिलास छोटे—बड़े—23 नग, स्टील की धातु कटोरी (छोटी/बड़ी)—23 नग, लोटे स्टील की धातु के 04 नग, स्टील की धातु की गुण्डी 01 नग, स्टील की धातु की बॉल्टी 03 नग, स्टील की धातु का डब्बा 01 नग, स्टील की धातु का डोंगा 06 नग, स्टील की धातु का कोपर 04 नग, तांबे की धातु का गिलास 01 नग, गुंड बड़ा 01 नग, लोटे छोटे/बड़े 09 नग, पूजन थाली कांसा धातु की—01 नग, पूजन थाली स्टील धातु की—08 नग, पीतल धातु की पंच आरती—01 नग, पंच दीपक (समाई)—01 नग, दक्षिणावर्ती शंख बड़ा 01 नग, कांसे के धातु के गिलास 05 नग, अभिषेक की तिपाई स्टील धातु की 01 नग, अष्टधातु का अभिषेक पात्र—01 नग, तांबे की धातु का हवन कुण्ड—01 नग, लोहे की धातु का हवन कुण्ड 01 नग, तांबे की धातु के पंचपात्र 10 नग एवं आचमनी—10 नग, दो पलंग पेटी बड़ी—02 नग, चेयर (फाइबर सेलो) 12 नग, सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ एवं पुस्तकें, मंदिरों में विद्युत फिटिंग एवं लाईट लगाई गई हैं। लोहे की धातु की दान पेटी 02 नग, अभिषेक करने की श्रंगी चांदी जड़ित 01 नग, पूजन करने की चौरंग सागौन की लकड़ी की बड़ी—01 नग एवं छोटी 01 नग, लोहे की धातु की तिपाही सीढ़ी 01 नग, दोपाही सीढ़ी—एक नग, मोटर पम्प (पीएसजी कम्पनी) छोटा 01 नग, श्री गुरुदेव जी (जगदगुरु भगवान शंकराचार्य) का आसन बड़ा 01 नग, सागौन की लकड़ी का, श्री कालभैरव जी के शयन हेतु पलंग छोटा 01 नग, सागौन की लकड़ी का, पूजन करने हेतु पटा—05 नग, सागौन की लकड़ी का दीपक रखने का ट्रे स्टील का 01 नग एवं अखण्ड दीपक का स्टेप्ल स्टील 01 नग है।
2. अचल संपत्ति	निरंक

(G-1150)

जुन्नारदेव, दिनांक 7 मार्च 2025

प्रारूप—पांच

[नियम 5 (1) देखिए]

मौजा—जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव,

जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)

सुनवाई दिनांक 8 अप्रैल 2025

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

रा.प्र.क्र. 0002—बी—113 (1)—2024—2025.— चूंकि, श्री खण्डेश्वर महादेव समिति बावली, वार्ड क्रमांक—03, जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा की ओर से अध्यक्ष अभय कुमार पिता स्व. श्री मधुकर तेलग, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 2 की उपधारा (4) के अधीन एक आवेदन—पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए आवेदन किया है।

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन पर मेरे न्यायालय में दिनांक 7 मार्च 2025 को विचारण में लिया।

इसलिए अब, मैं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लोक न्यास अधिकारी, जुन्नारदेव के लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 8 अप्रैल 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करती हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा:-

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

श्री खण्डेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, बावली, वार्ड क्रमांक-03 जुन्नारदेव, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा  
(म.प्र.) अचल सम्पत्ति निरंक.

(G-1151)

कामिनी ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समरस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चांदेर/छोटीकलमेर, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—538.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चांदेर, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 14 मई 1917 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. छोटीकलमेर, पंजीयन क्रमांक 1660, दिनांक 5 जनवरी 1995 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बेगन्दा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बेगन्दा के गठन की अनुशासा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र. (प्रस्तावित संस्था)	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति अंतर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूसी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित संदर्भ संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	चान्देर	चान्देर	चान्देर	बेगन्दा	बेगन्दा	0	बेगन्दा	175	342
	बरोदापंथ		हरनासा		एकतासा	5	बेगन्दा	108	130
2.	छोटीकलमेर	छोटीकलमेर							
	पेमलपुर		पेमलपुर						
	साहदा		पेमलपुर						

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3768, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023, 25 अगस्त 2023 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1152)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चांदेर/जलोदियापंथ, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—539.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.अॉप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छोटीकलमेर, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 14 मई 1917 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अरोदाकोट में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अरोदाकोट के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम का नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम (ग्राम की दूरी)	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	छोटीकलमेर	छोटीकलमेर	अरोदाकोट	अरोदाकोट	अरोदाकोट	165	270.90		
	पेमलपुर	पेमलपुर		खिरेली	4	अरोदाकोट	116	121.50	
	साहदा	पेमलपुर		धान्या	4	अरोदाकोट	65	99.00	
				रुणावदा	5	अरोदाकोट	110	102.60	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3764, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1153)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चांदेर/जलोदियापंथ, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—540.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चान्देर, पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 21 जून 1918 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. जलोदियापंथ, पंजीयन क्रमांक 1660, दिनांक 5 जनवरी 1995 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़ी एवं हरनासा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खड़ी के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्दमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (प्रस्तावित संस्था)	नवीन पैक्स का नाम (प्रस्तावित संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (प्रस्तावित संस्था)	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	चान्देर	चान्देर	चान्देर	खड़ी	बरोदापंथ	12	हरनासा	164	212.40
		बरोदापंथ	हरनासा		खड़ी	0	खड़ी	256	365.40
2.	जलोदियापंथ	जलोदियापंथ	जलोदियापंथ		हरनासा	4	हरनासा	233	258.33

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3768, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्डौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1154)

इन्डौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. लिम्बोदापार, तहसील देपालपुर, जिला इन्डौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—541.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्डौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्डौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्डौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्डौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्डौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदापार, पंजीयक क्रमांक 63, दिनांक 20 मई 1955 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जलोदियापार/लिम्बोदापार में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. जलोदियापार के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंध अन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम 06 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	लिम्बोदापार	लिम्बोदापार	जलोदियापार	जलोदियापार	पलासियापार	0	जलोदियापार	257	275.79
						2	लिम्बोदापार	51	86

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3768, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 25 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सपष्टित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 25 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1155)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. लिम्बोदापार, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—542.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रियप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.अॉप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लिम्बोदापार, पंजीयन क्रमांक 63, दिनांक 20 मई 1955 के कार्य क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमदा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सेमदा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम के नाम	ग्राम के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	लिम्बोदापार	लिम्बोदापार	लिम्बोदापार	सेमदा	सेमदा	0	सेमदा	335	546.42	
					रिंगनवास	03	सेमदा	56	89.75	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3769, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शास्त्रियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. भीलबडौली, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—543.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भीलबडौली, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 6 जनवरी 1919 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गुडर में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गुडर के गठन की अनुशासा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	ग्राम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	भीलबडौली	भीलबडौली	भीलबडौली	गुडर	गुडर	0	गुडर	233	250.33	
					जमगोदा	2	गुडर	185	204.96	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3769, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1157)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. भीलबडौली, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—544.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भीलबडौली, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 6 जनवरी 1919 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कडौदा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कडौदा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम	नवीन समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	भीलबडौली	भीलबडौली	भीलबडौली	कडौदा	कडौदा	0	कडौदा	215	310.95
					बारदाखेडी	1	कडौदा	125	175.76

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अंतर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3770, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 29 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1158)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. छडोदा/गिरोता तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—545.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छडौदा, पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 21 मई 1919 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. गिरोता, पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 3 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत फूलान/पीरनलवासा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., फूलान के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	दर्तमान का समिति का नाम	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन नवीन नवीन	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित	ग्राम पंचायत के नाम	ग्राम ग्राम की दूरी	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	गिरोता	गिरोता	गिरोता	फूलान	फूलान	0	फूलान	200	589.07
	छडौदा	छडौदा	छडौदा		पीरनलवासा	4	पीरनलवासा	141	216.37
	तलावली	तलावली		कुलाला		9	कुलाला	142	130.86

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3771, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 11 सितम्बर 2023, 24 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 11 सितम्बर 2023, 24 अगस्त 2023 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. छड़ोदा/गिरोता तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—546.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.आॅप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या.., छड़ोदा, पंजीयन क्रमांक 126, दिनांक 21 मई 1919 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. गिरोता, पंजीयन क्रमांक 161, दिनांक 3 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छाड़ोदा/गिरोता में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., तलावली के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति समिति का अंतर्गत ग्राम नाम के नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत एवं नाम	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में समिलित (परिणामी संस्था)	प्रस्तावित से समिलित ग्राम के नाम	ग्राम की दूरी ग्राम के दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	छड़ोदा	छड़ोदा	छड़ोदा	तलावली	तलावली	0	तलावली	550	587.12
					खरसोडा	3	तलावली	80	108.13
					बहिरामपुर	3	बहिरामपुर	175	229.04
					सिरोज्या	4	बहिरामपुर	40	63.23
2.	गिरोता	गिरोता	गिरोता	अम्बालिया	अम्बालिया	3	अम्बालिया	115	104.28

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3772, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 24 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्थीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023, अगस्त 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व मे जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 24 अगस्त 2023, अगस्त 2023 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1160)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. अटावदा/बेटमा तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—547.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अटावदा पंजीयन क्रमांक 452 दिनांक 6 फरवरी 1974 एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. बेटमा पंजीयन क्रमांक 76 दिनांक 28 अप्रैल 1956 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सनावदा/अजन्दा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सनावदा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति के नाम (अंतर्गत ग्राम)	ग्राम पंचायत एवं नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अटावदा	अटावदा	अटावदा	सनावदा	सनावदा	0	सनावदा	210	306.06
		गोहान	गोहान		अजन्दा	1	अजन्दा	345	401.15
2.	बेटमा	बेटमा	नगर परिषद्		खेतडिया	2	सनावदा	175	101.25
		मोथला	पीरपीपल्या						
		बदीपुरा	बदीपुरा						

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3773, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 22 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शालियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 22 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1161)

#### अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कराडिया तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—548.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिरेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कराडिया पंजीयन क्रमांक 64 दिनांक 3 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलावट/सिंगावदा/सिकन्दरी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. गुलावट के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था) (3)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम (पैक्स का नाम) (4)	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी (5)	ग्राम पंचायत के नाम (6)	ग्राम अनुमानित सदस्य संख्या (7)	अनुमानित अनुमानित सदस्य संख्या (8)	अनुमानित अनुमानित सदस्य संख्या (9)
1.	कराडिया	कराडिया	कराडिया	गुलावट	गुलावट	0	गुलावट	127	140.81	
				पलासिया	पलासिया	3	सिंगावदा	101	136.61	
				लौडिया	लौडिया	3	गुलावट	69	79.15	
				सिंगावदा	सिंगावदा	4	सिंगावदा	77	101.07	
				अम्बाखेड़ी	अम्बाखेड़ी	3	सिकन्दरी	35	79.62	
				सिकन्दी	सिकन्दी	4	सिकन्दरी	169	214.68	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3774, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 16 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शास्त्रियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

## अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. काई तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—549.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. का पंजीयन क्रमांक 95 दिनांक 3 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटकोदा / खिमलावदा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कटकोदा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति समिति का अंतर्गत ग्राम नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम के नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्भिलित नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्भिलित ग्राम के नाम	ग्राम ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	काई काकवा जलालपुरा	काई जलालपुरा जलालपुरा	काई कटकोदा खिमलावदा	कटकोदा खिमलावदा	0 2.5	कटकोदा खिमलावदा	424 164	377.29 92.25	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3775, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संरथ की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1163)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कनवासा तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—550.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कनवासा, पंजीयन क्रमांक 1636, दिनांक 3 मार्च 1962 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुनाला/रुद्राख्या में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सुनाला के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति क्रमांक के नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कनवासा चान्दनखेडी	कनवासा चान्दनखेडी	रुद्राख्या	सुनाला	सुनाला रुद्राख्या	0 5	सुनाला रुद्राख्या	480 276	426.12 268.90

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3776, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 संपर्कित नियम, 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप—रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1164)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. मेण तहसील महू, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—551.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ओप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मेण, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 30 नवम्बर 1959 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपल्या/जामबुर्जा/मलेण्डी/रामपुरिया में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जामबुर्जा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति समिति का अंतर्गत ग्राम नाम	ग्राम पंचायत एवं नाम	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में सम्मिलित (परिणामी संस्था)	प्रस्तावित ग्राम के नाम	ग्राम की दूरी	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	मेण	मेण	मेण	जामबुर्जा	गुवाडी	10	पिपल्या	07	
	मेण मजरा	मेण	मेण	जामबुर्जा	जामबुर्जा	0	जामबुर्जा	96	
	तेलनबर्डी	मेण	मेण	डमाली	डमाली	12	पिपल्या	12	
	कंदवाली	जामखुर्द	जामखुर्द	पिपल्या	पिपल्या	12	पिपल्या	40	
	रामगढ़पलासधाट	जामखुर्द	जामखुर्द	बढिया	बढिया	18	मलेण्डी	34	
	जामखुर्द	जामखुर्द	जामखुर्द	धोडाखुर्द	धोडाखुर्द	5	जामबुर्जा	94	
	बुरात्या	जामखुर्द	जामखुर्द	नारखेडा	नारखेडा	5	रामपुरिया	38	
	मांगल्या	मांगल्या							
	रामपुरिया	रामपुरिया							
	माधोपुरा	जामखुर्द							

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3784, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। यूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति.

समस्त सदस्य

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. शेरपुर तहसील मंडु, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—552.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र कमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्डौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्डौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिह्नांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., शेरपुर, पंजीयन क्रमांक 799, दिनांक 10 मई 1938 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिहोद/झाफराबाद में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., सिहोद के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3777, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सपष्टित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1166)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समर्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कमदपुर तहसील मंहू, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—553.— आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कमदपुर पंजीयन क्रमांक 29 दिनांक 30 नवम्बर 1959 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम फफून्द में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. फफून्द के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम	समिति के नाम	ग्राम पंचायत	नवीन का नाम	नवीन पैक्स का नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित	ग्राम के नाम	ग्राम की दूरी	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	कमदपुर	कमदपुर	फफून्द	फफून्द	0	फफून्द	147	159.27		
	चचेनपुरा	कमदपुर		लालपुरा	1	फफून्द		0		
				सिलोटिया	3	फफून्द	129	37.03		
				मतलबपुरा	2	फफून्द	91	36.04		
				कराडिया	1	फफून्द	89	44.92		

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3778, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सपष्टित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कांडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत 'पूर्व' में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 17 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. जामोदा, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—554.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जामोदी पंजीयन क्रमांक 62 दिनांक 20 मई 1955 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरोल में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सिमरोड के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में सम्मिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से सम्मिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	जामोदी सोलसंधी	जामोदी जामोदी	जामोदी	सिमरोड	महाराजांज खाण्डाखेडी सिरमोड	3 3 0	सिमरोल 39 सिमरोल	132 39 278	124.76 23.39 217.32

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3779, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 21 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्द्रह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 21 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1168)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. गुराण, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक/प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—555.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गुराण पंजीयन क्रमांक 28 दिनांक 8 सितम्बर 1952 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कदवा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कदवा के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	गुराण	हतुनिया	हतुनिया	कदवा	कदवा	0	कदवा	239	172.58
	मालीखेड़ी	हतुनिया			पटवाखेड़ी	1	कदवा	48	67.29
	गुराण	गुराण			शहणा	2	कदवा	325	386.00

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3781, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 21 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सपष्टित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजमिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शास्त्रियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 21 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1169)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. कछालिया तहसील सांवेर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—556.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी प्रतिक्रिया में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कछालिया पंजीयन क्रमांक 2551 दिनांक 30 जून 1959 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खलखला / खतेडिया में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. खलखला के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में समिलित (परिणामी संस्था)	प्रस्तावित ग्राम के नाम	ग्राम की दूरी	ग्राम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	कछालिया	कछालिया	खलखला	खलखला	0	खलखला	178	128.41	
	हरियाखेड़ी	हरियाखेड़ी		खतेडिया	4	खतेडिया	82	52.78	
	बीबीखेड़ी	हरियाखेड़ी		रंगकराडिया	3	खतेडिया	90	55.72	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3780, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप "अ", प्रारूप "ब" एवं प्रारूप "स" में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजमिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शास्त्रियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 19 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य,

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. पिगडम्बर, तहसील सावेर, जिला इन्दौर  
द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—557.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में इन्दौर प्रीमियर को.ऑप. बैंक लिमि., इन्दौर के पत्र क्रमांक—कृषि—साख—2023—537, इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 के प्राप्त कार्यवाही विवरण अनुसार पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., पिगडम्बर, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 25 नवम्बर 1959 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया—पानदा—पिपल्यामल्हार—कवटी—नावदा में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., उमरिया के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को समिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:—

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम नाम (प्रस्तावित संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम के दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	अनुमानित सदस्य संख्या	अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	पिगडम्बर	पिगडम्बर	पिगडम्बर	उमरिया	उमरिया	0	उमरिया	150	
				पानदा	पानदा	3	पानदा	184	
				पिपल्यामल्हार	पिपल्यामल्हार	2	पिपल्यामल्हार	93	
				बजरंगपुरा	बजरंगपुरा	3	पिपल्यामल्हार	35	
				कवटी	कवटी	5	कवटी	90	
				नावदा	नावदा	6	नावदा	95	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3783, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 23 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 संपर्कित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—५—१—९९—पन्नह—१—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व मे जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 11 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1171)

इन्दौर, दिनांक 4 मार्च 2025

अध्यापेक्षा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत]

प्रति,

समरत सदस्य,

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सेमल्याचाऊ, तहसील कनाडिया, जिला इन्दौर

द्वारा—प्रशासक / प्रबंधक

क्र.—पंजीयन—2025—558.—आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में, भारत सरकार की मंशा अनुरूप ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में जहाँ पैक्स के मुख्यालय न हो वहाँ नवीन बहुउद्देशीय पैक्स के गठन की अपेक्षा की गई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले पैक्स पुनर्गठन हेतु कलेक्टर, जिला इन्दौर के आदेश क्रमांक—कृषि—साख—2023—3422—इन्दौर, दिनांक 28 मार्च 2023 से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2023 द्वारा नवीन पैक्स के गठन हेतु चिन्हांकन किया गया था। संयुक्त कार्य समिति (JWC) की बैठक दिनांक 5 फरवरी 2025 में भी अपर कलेक्टर जिला इन्दौर की अध्यक्षता में पुनर्गठन हेतु निर्णय लिया गया है।

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक—साख—विधि—1265—2023, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 अनुसार पैक्स पुनर्गठन हेतु 1000 सदस्य एवं 3.00 करोड़ के ऋण व्यवसाय की पूर्ति नहीं होने पर आगामी 03 वर्षों में पूर्ति करने तथा 10 किलोमीटर की परिधि एवं 5000 हेक्टेयर कृषि भूमि की बाध्यता समाप्त की गई है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 25 मई 2025 के कार्यवाही विवरण अनुसार इन्दौर प्रीमियर को.ऑप.बैंक लिमि. इन्दौर के पत्र क्रमांक / कृषि साख / 2023 / 537 इन्दौर, दिनांक 29 मई 2023 से पुनर्गठन हेतु चिन्हांकित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. सेमल्याचाऊ, पंजीयन क्रमांक 2527 दिनांक 27 अगस्त 1958 के कार्यक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शक्करखेड़ी—खातीपिपल्या—हसनाखेड़ी—बुरानाखेड़ी—चौहानखेड़ी में नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. शक्करखेड़ी के गठन की अनुशंसा की गई है, जो पुनर्गठन हेतु अद्यतन न्यूनतम सक्षमता मापदण्ड के अनुकूल होने व सोसायटी के युक्तियुक्त प्रबंधन व सदस्यों के हित में अत्यावश्यक होने से निम्नांकित कॉलम (6) में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित करते हुए नवीन सोसायटी का गठन किया जाना लोकहित में प्रथमदृष्ट्या युक्तियुक्त परिलक्षित हो रहा है:-

क्र.	वर्तमान का समिति का नाम (प्रस्तावित संस्था)	समिति का अंतर्गत ग्राम के नाम (परिणामी संस्था)	ग्राम पंचायत का नाम (परिणामी संस्था)	नवीन पैक्स का नाम नवीन समिलित	नवीन पैक्स में समिलित ग्राम के नाम	प्रस्तावित नवीन संस्था से समिलित ग्राम की दूरी	ग्राम पंचायत के नाम	ग्राम सदस्य संख्या	अनुमानित अनुमानित ऋण व्यवसाय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	सेमल्याचाऊ सेमल्याचाऊ भोकाखेडी धतुरिया गारिया जलोदकेउ जानी	सेमल्याचाऊ शाककरखेडी गारिया गोगाखेडी जलोदकेउ जलोदकेउ	शाककरखेडी खातीपिपल्या बरोदादौलत बरोदाकर्रा खेमाना	शाककरखेडी खातीपिपल्या हरसनाखेडी बुरानाखेडी चौहानखेडी	0 2 3 3 2	शाककरखेडी खातीपिपल्या हरसनाखेडी बुरानाखेडी चौहानखेडी	97 65 98 66 105	96.48 75.05 123.18 66.06 134.52	

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) एवं 16(5) के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक—पंजीयन—2023—3782, इन्दौर, दिनांक 19 जून 2023 से उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अध्यापेक्षा जारी की गई थी। संस्था की आमसभा दिनांक 23 अगस्त 2023 में संस्था के पुनर्गठन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के अनुसार सहमति प्रदान कर दी गई है। चूंकि उक्त आमसभा में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 सप्तित नियम 11 एवं कार्यालय, आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक—साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 के अनुसार बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु जारी परिपत्र अनुसार प्रारूप “अ”, प्रारूप “ब” एवं प्रारूप “स” में प्रस्तावित समिति के पुनर्गठन हेतु जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः इस अध्यापेक्षा पत्र के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान किया जा रहा है।

उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में मैं, एम.एल.गजभिये, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक—एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) से प्रदत्त शाक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के अंतर्गत पूर्व में जारी अध्यापेक्षा पत्र दिनांक 19 जून 2023 के संबंध में संस्था की आमसभा दिनांक 23 अगस्त 2023, में दी गई आपकी सहमति के तारतम्य में पुनः अवसर प्रदान करता हूँ कि आप इस अध्यापेक्षा जारी होने के 15 दिवस के भीतर विकल्प प्रस्तुत करें कि परिणामी सोसायटी का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें, निर्धारित समयावधि में कोई विकल्प प्राप्त न होने की दशा में अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् आपका विकल्प प्राप्त होने पर यह माना जाकर कि आप उपरोक्त प्रभावित/परिणामी संस्था के सदस्य बने रहने/बनने हेतु सहमत हैं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 के अनुसार पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही की जावेगी।

यह अध्यापेक्षा आज दिनांक 4 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की जाती है।

(G-1172)

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, को-ऑपरेटिव सोसायटीज़, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 18 फरवरी 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), संदला

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—243.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., संदला, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 10628, दिनांक 20 दिसम्बर 1957 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. तिलगारा, 2. जाबड़ा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—संदला	ग्राम संदला, पोस्ट संदला, तह. बदनावर, जिला धार, पिन कोड 454660.	संदला, पिपलिपाड़ा, झिंझापाड़ा, पुनियापाड़ा, शंभुपाड़ा, भारारूंडी, छायन, इमलीपाड़ा, कोदलीपाड़, पिपलीपाड़, झगड़ातपाड़ा, नयापाड़ा, बगिद्यापाड़ा, लालगुवाड़ी, लीलीखेड़ी, मांडली, जीवरीपाड़ा, वडलीपाड़ा, चंदवाड़ियाखुर्द,	1201	679.67	1622.076
1.	परिणामी संस्था—तिलगारा	ग्राम तिलगारा, पोस्ट तिलगारा, तह. बदनावर, जिला धार, पिन कोड—454660.	तिलगारा, डागरपाड़ा, सिपन्या, इमलीपाड़ा, नयापाड़ा, करणपुरा, भीमपुरा, नहारखेड़ा, उकालापाड़ा, रुपाखेड़ा.	994	662.65	1386.397

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	परिणामी संस्था—जाबड़ा	ग्राम जाबड़ा, पोस्ट तिलगाड़ा, तह. बदनावर, जिला धार, पिन कोड—454660.	जाबड़ा, रतनपुरा, बोरदा, पाटड़ी, बडक्यातलाई, बीड़पाड़ा, झुंगलिया, लाम्पाता, सालरीपाड़ा, दुबक्या, भूतपिपल, मेररजीकिरुंडी मोड़ारुंडी, कुल्याखो, धावडियाखो, बोरदी, खेड़ी, भडभुंजी, बडक्यालंडी, पिपलीपाड़ा, खराड़ीपाड़ा, मनास्या, रावलपाड़ा, रिंगारपाड़ा, तिलगारीपाड़ा, टंकारीपाड़ा, हांडयाकुंडा।	920	296.13	809.972
			योग ..	3115	1638.45	3818.445

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रवंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1173)

धार, दिनांक 18 फरवरी 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), काढीबड़ौदा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—243.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., काढीबड़ौदा, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 10626, दिनांक 20 दिसम्बर 1957 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदण्डों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था क्रमशः 1. मुलथान बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था क्रमशः 1. मुलथान बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— काढ़ीबड़ौदा,	ग्राम काढ़ीबड़ौदा, पोस्ट काढ़ीबड़ौदा, तह. बदनावर, जिला धार.	काढ़ीबड़ौदा, धमाना, कारोदा, खेरवास, कल्याणपुर, बेगंदा, जवास्या, सिलोदिया, मयाखेड़ी.	1787	1026.10	2558.95
1.	परिणामी संस्था— मुलथान	ग्राम मुलथान, पोस्ट मुलथान, तह. बदनावर, जिला धार.	मुलथान, भुवानिखेड़ा, खिमाखेड़ी, छोटाउडवापाड़ा, बड़ाउडवापाड़ा, रामटापाड़ा, रायणपाड़ा, बांडीनाल, जवरियावड़, सातरुंडा.	1037	495.39	1242.48
योग ..				2824	1521.49	3801.43

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1174)

धार, दिनांक 5 मार्च 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), बलेड़ी

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—381.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी, विकासखण्ड गंधवानी, पंजीयन क्रमांक 3552, दिनांक 1 जून 1968 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदण्डों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था क्रमशः 1. गुंगीदेवी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— बलेड़ी	ग्राम बलेड़ी, पोस्ट बलेड़ी, तह. गंधवानी. जिला धार.	बलेड़ी, केलीकला, गरवाड़ा, मोटिमाली, भाटिखोदरा, ग्वालमगरी, लालगढ़, चुन्ध्या, इंदला, होलीबयड़ा, कुंडिया, जामदा, भूतिया, पंथा, कबाड़कुंआ, राताकोट, जाटपुरा, ग्यराकुई, केलीखुर्द, बानद्रियाकुंआ, जामुखोदरा, बडोदिया, बिछिया.	1811	930.32	3291.636
1.	परिणामी संस्था— गुंगीदेवी	ग्राम गुंगीदेवी, पोस्ट अमझेरा, तह. गंधवानी. जिला धार.	गुंगीदेवी, गोलपुरा, मुवाड़, भूरियाकुण्ड, खारचा, ग्वालबयड़ी झिकन्याबयड़ी, मालगढ़, रुखीबावड़ी, उमरकुंआ, हाथिपावा, बडखोदरा, नानखेदरा, रामगढ़, रतनपुरा, विरपुर विरपुरपाड़ा, पिपल्या, पानपुरा, भरुड़ा, कड़दा, लोहारपुरा, बावड़ीखोदरा, मछलई, बिलपुर, जलोख्या, अम्बाझीरी, चांदुड़ी, गुनियारा, कालुखेड़ी, गोलपुरापाड़ा, कालमठिया, पांचपिपल्या, जामन्यापाड़ा.	1139	300.41	2645.734
				योग ..	2950	1230.73 5937.37

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 5 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

धारा, दिनांक 5 मार्च 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
  2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)
- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), बाकानेर

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-368.- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बाकानेर, विकासखण्ड मनावार, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 18 नवम्बर 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. झिर्वी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— बाकानेर	मेनरोड बाकानेर तह., मनावर, जिला धार.	बाकानेर, बजट्टाखुर्द, जलखेड़ा, कुवाली, भुवादा, खरगोन, हनुमंत्या, धनेखेड़ी, कल्याणपुरा रणगांव.	1212	311.22	3180.07
1.	परिणामी संस्था— झिर्वी	मेनरोड ग्राम झिर्वी, तह. मनावर, जिला धार.	झिर्वी, बायखेड़ा, इशकपुरखेड़ी, ठनगांव, किशनपुरखेड़ी, अमलाठा, सरसगांव, टवलझखुर्द, कोठड़ा.	1095	489.78	2760.18
				योग ..	2307	801.00
						5940.25

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 5 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1176)

धारा, दिनांक 6 मार्च 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), गुजरी

क्र.-पंजी-लैम्प्स पुन.-2025-368.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गुजरी, विकासखण्ड धरमपुरी, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 14 जुलाई 1959 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदण्डों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 4 मार्च 2025 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. बगवान्या, 2. चिकटयावड़ बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविति संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविति संस्था— गुजरी	पुराना ए.बी. रोड गुजरी.	गुजरी, डेहरिया, हनुमंत्या फरसपुरा, सिमराली, सादराबाद, मसीदपुरा, जहांगीरपुरा, कोठीदा, इमलीपुरा, दुगनी, भैसाखों, उतावली, भारूडपुरा, भाणडाखो, पिपलाज, पंचघाटी, तातापानी।	998	181.33	3008
	1. परिणामी संस्था— बगवान्या	ग्राम बगवान्या, पोस्ट सेमल्दा, तह. धरमपुरी, जिला धार।	बांडीखार, गाड़ियादगड़, तलावपुरा, बंजारी, हीरापुर, सरजापुर, खुटामोड़, कछवान्या, दुकानपुरा।	713	70.22	2669
	2. परिणामी संस्था— चिकटयावड़	ग्राम चिकटयावड़, पोस्ट धानी, तह. धरमपुरी, जिला धार।	चिकटयावड़, धानी, सिरसोदिया, लालबाग, सनकोटा, ढापला, एहमदपुरा, बासवी, कुसुमला।	895	217.86	3137
				योग ..	2606	469.41
						8814

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1177)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), जौलाना

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-380.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., जौलाना, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 159, दिनांक 2 मई 1959 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कंस कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. बोला, 2. भानगढ़ बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— जौलाना	ग्राम जौलाना, पोस्ट जौलाना, तह. सरदारपुर, जिला धार.	जौलाना, रुगनाथपुरा, रुपाखेड़ा, नयापुरा, पांचपिपलिया, कृष्णकुण्ड, बालागढ़, नहारपुरा, रामसागर, भास्करनगर, कालीकराय, बोदली.	949	400.26	1005.55
1.	परिणामी संस्था— बोला	ग्राम बोला, पोस्ट बोला, तह. सरदारपुर, जिला धार.	बोला, एहमद, हनुमंत्याकाग, कोठड़ाखुर्द, गोन्दीखेड़ा, टाण्डाखेड़ा, मेहगांव, आनंदखेड़ी, मोयाखेड़ा.	562	346.89	1089.81
2.	परिणामी संस्था— भानगढ़	ग्राम भानगढ़, पोस्ट भानगढ़, तह. सरदारपुर, जिला धार.	भानगढ़, सोनगढ़, कुमारियाखेड़ी, टिमायची, तलावपाड़ा, बिडपाड़ा, लिमलीपाड़ा, कुमाररुण्डी.	893	696.06	1599.40
योग ..				2404	1443.21	3694.76

संस्था, मापदंडों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1178)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानन्तदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), धारसीखेड़ा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—382.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., धारसीखेड़ा, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 580, दिनांक 28 अप्रैल 1984 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था क्रमशः 1. बखतपुरा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र. (1)	संस्था का नाम (2)	पता (3)	कार्य क्षेत्र के ग्राम (4)	सदस्य संख्या (5)	ऋण व्यवसाय (6)	कृषि भूमि (हेक्टेयर में) (7)	
					1311	1022.83	1746.400
1	प्रभाविती संस्था— धारसीखेड़ा	ग्राम धारसीखेड़ा, पोस्ट भैंसोला, तह. बदनावर, जिला धार.	धारसीखेड़ा, गढ़ी, खेड़ी, मुंगेला, भैंसोला, गरवाड़ा, घेनारा, आम्बापाड़ा.	798	395.02	787.100	
	1. परिणामी संस्था— बखतपुरा	ग्राम बखतपुरा, पोस्ट दोत्रया, तह. बदनावर, जिला धार.	बखतपुरा, सेमलखेड़ा, कावरपाड़ा, सिंगारपाड़ा, कुलझीपाड़ा, खरड़िया, दोत्रया, ढोलीकुंआ, खेड़ी, झिकली, बोरिया, वागापाड़ा, परकोटा, खोकरी, खाखरोड़ा, नयापाड़ा.	योग ..	2109	1417.85	2533.500

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1179)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]  
प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), कालीबाबड़ी

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-383.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कालीबाबड़ी, विकासखण्ड उमरबन, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 10 सितम्बर 1992 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. रामाधामा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— कालीबाबड़ी	ग्राम कालीबाबड़ी, पोस्ट कालीबाबड़ी, तह. मनावर, जिला धार.	कालीबाबड़ी, छितरी, जामनझिरी, अहेरवास, बालीपुर, रणदा, प्रतापुरदाभ्या, कालापानी, जामन्या, तिबेडिया, पांजरिया, साकल्दा.	1493	499.89	2283.710
1.	परिणामी संस्था— रामाधामा	ग्राम रामाधामा, पोस्ट कालीबाबड़ी, तह. मनावर, जिला धार.	रामाधामा, इब्राहिमपुरा, करोंदिया, कछादड़, बैचकुंआ.	985	313.30	1706.900
योग ..				2478	813.19	3990.610

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1180)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), तिरला (धार)

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—384.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., तिरला (धार), विकासखण्ड तिरला, पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 26 नवम्बर 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. बोधवाड़ा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— तिरला	ग्राम तिरला, पोस्ट तिरला, तह. धार, जिला धार.	तिरला, चिकल्या, खरमपुर, बोरदा, ज्ञानपुरा, आमखेड़ा, गंगानगर, रानिपुरा, कालापाठा.	1340	1332.22	4845.596
	1. परिणामी संस्था— बोधवाड़ा	ग्राम बोधवाड़ा, पोस्ट सुलतानपुर, तह. ब जिला धार.	बोधवाड़ा, रायपुरिया, चिलुर, नलावदा, नानंदवासा, नांदनखेड़ा, हजरतपुर.	1123	74.92	2198.834
			योग ..	2463	1407.14	7044.43

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1181)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), लुन्हेरा बुजुर्ग

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-385.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., लुन्हेरा बुजुर्ग, विकासखण्ड उमरबन, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 106, दिनांक 21 अगस्त 1950 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. टवलाई बुजुर्ग बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— लुन्हेरा बुजुर्ग	ग्राम लुन्हेराबुजुर्ग, तह. मनावर, जिला धार.	लुन्हेराबुजुर्ग, बालीपुरखुर्द, दाभड़, मिकन्याखेड़ी, बंजारी, रालामंडल, उटावद, कुवाड़, खेरवा जागीर.	1349	419.50	3757.7681
1.	परिणामी संस्था— टवलाई बुजुर्ग	ग्राम टवलाई बुजुर्ग, तह. मनावर, जिला धार.	टवलाई बुजुर्ग, देवलरा, गोगांवा, महापुरा, डेडगांव, साल्यापुरखेड़ी, मोदकानापुर, बगाड़ी, जामन्या, बिरमपुरा.	1128	330.91	3957.7680
योग ..				2477	750.41	7715.5361

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1182)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), अमझेरा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—385.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., अमझेरा, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 31 अगस्त 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. बांदेड़ी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—अमझेरा	ग्राम अमझेरा, पोस्ट अमझेरा, तह. सरदारपुर, जिला धार.	अमझेरा, राजपुरा, सुल्तानपुर, रामपुरा, सेमलीपुरा, चुनाभाटी, गुन्दीखेड़ा, नयापुरा, लीमफलीया, सुकलीटर, इमलीपुरा, आम्बापुरा, खोखड़ीयामाल, ईडरिया, डाढ़ूर, चालनी, सुनेड़ी.	1643	558.81	2330.50
1.	परिणामी संस्था—बांदेड़ी	ग्राम बांदेड़ी, पोस्ट बांदेड़ी, तह. सरदारपुर, जिला धार.	बांदेड़ी, मारोल, केशरपुरा तेली, मांगोद, आंतेड़ी, बाकेड़ी, खाकेड़ी, हातोद, मदद, मोरगांव	1663	1186.95	4450.90
योग ..				3306	1745.76	6781.40

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1183)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), बालीपुर

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-386.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बालीपुर, विकासखण्ड मनावर, पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 1 जुलाई 1991 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. कलवानी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, क्रण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— बालीपुर	ग्राम कालाभाटा, पोस्ट जाजमखेड़ी, तह. मनावर, जिला धार.	बालीपुर, चिकली, बापडूद, जाजमखेड़ी, गुलाटी.	1400	937.28	4918.896
	1. परिणामी संस्था— कलवानी	ग्राम कलवानी, पोस्ट कलवानी, तह. मनावर, जिला धार.	कलवानी, बनेड़ीया, लाखनकोट, भर्यापुर.	1180	675.92	4146.568
			योग ..	2580	1613.20	9065.464

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोक हित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1184)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), डेहरीउपड़ी

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-387.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., डेहरीउपड़ी, विकासखण्ड धार, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 10670, दिनांक 31 अगस्त 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था क्रमशः का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. गुणावद, 2. बगड़ बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य		
				संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—डेहरीउपड़ी	ग्राम डेहरीउपड़ी, पोस्ट डेहरीसराय, तह. धार, जिला धार.	डेहरीउपड़ी, सेजवाया, दंगोठा, सुखेड़ा, सेजवानी, कुमारकराडिया, नयापुरा, बगोदा, उमरिया, एकलदुना, दिग्ठान, बड़छापरा, गयासाबाद, रोंगलिया.	1415	1109.84	4440.290
	1. परिणामी संस्था—बगड़	ग्राम बगड़, पोस्ट बगड़, तह. धार, जिला धार.	बगड़, एकलदुना धार, किलोली, नेकपुर, अहिरखेड़ी, भिडोता, हाप्पीखेड़ी, कुन्दरसी, छड़ोदा, कडोला, लोहारी.	1085	910.68	4303.38
	2. परिणामी संस्था—गुणावद	ग्राम गुणावद, पोस्ट गुणावद, तह. धार, जिला धार.	गुणावद, मिर्जापुर, पिपलदा, बनेडिया, करंजवा, कलसाड़ाखुर्द, लेबड़.	1509	1239.69	520.731
2	प्रभाविती संस्था डेहरीउपड़ी का ग्राम खेड़ा संस्था दिग्ठान से पृथक् हो रही संस्था उटावद में जोड़ना प्रस्तावित है।			169	127.22	650.905
			योग ..	4178	3387.44	14602.26

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1185)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), मनावर

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—388.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., मनावर, विकासखण्ड मनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 2604, दिनांक 21 जनवरी 1928 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. टोंकी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— मनावर	वार्ड नं. 14, सेमल्दा रोड, मनावर, जिला धार.	न.प. क्षेत्र मनावर, ग्राम जगन्नाथपुरा, भरडपुर, गोपालपुरा, बिडपुरा, करथली, बागसुल, सनमोर, अजंदीमान, हनुमंत्या, लुन्हेरासड़क.	1773	615.91	3975.374
	1. परिणामी संस्था— टोंकी	ग्राम टोंकी, पोस्ट टोंकी, तह. मनावर, जिला धार.	टोंकी, टेमरनी, गोलपुरा, सोण्डुल, निगरनी, बडगांव, लोणी, पिपल्या, जाटपुर.	1408	565.24	3856.059
			योग ..	3181	1181.15	7831.433

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1186)

धारा, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]  
प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), उमरबन

क्र.-पंजी.—लैम्प्स पुन.-2025-389.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., उमरबन, विकासखण्ड उमरबन, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 25 जून 1959 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. सुराणी बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— उमरबन	ग्राम उमरबन, पोस्ट उमरबन, तह. मनावर, जिला धार.	उमरबनकला, बड़िया, भमलावद, बेलाली, कलाल्दा, मण्डावदा, पिपल्यामोटा, सावलाखेड़ी, आड़ाबयड़ा खड़ीमोली, ढेकली, उखल्दा, जामन्या.	2320	548.88	3355.235
	1. परिणामी संस्था— सुराणी	ग्राम सुराणी, पोस्ट कालीबाबड़ी, तह. मनावर, जिला धार.	सुराणी निल्दा, केशरपुरा, लवाणी, मालविहार, धोलीबाबड़ी, मोरखल, करोंदियाखुर्द, पाठा.	896	153.93	1375.873
			योग ..	3216	702.81	4731.108

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पुरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1187)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]  
प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
  2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)
- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), दिग्ठान

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—390.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., दिग्ठान, विकासखण्ड नालछा, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 31 अगस्त 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. उटावद बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य	ऋण	कृषि भूमि
				संख्या	व्यवसाय	(हक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— दिग्ठान	ग्राम दिग्ठान, पोस्ट दिग्ठान, तह. पीथमपुर, जिला धार.	दिग्ठान, पिपल्या, डिगलाय, गुलवा, उज्जैनी, रतवा, पातल्या, शंकरपुरा, नयापुरा, माधोपुरा, करोदिया, सर्फराज, बछड़ावदा, सिलोदाबुजुर्ग, नाजीकबरोदा, नारायणपुरा, लक्ष्मीपुरा, निजामपुरा.	2747	884.65	4110.21
	1. परिणामी संस्था— उटावद	ग्राम उटावद, पोस्ट उटावद, तह. धार, जिला धार.	उटावद, पिपलखेड़ा, सिरसोदा, कडोलाखुर्द, मेहंदीखेड़ी, दौलतपुर, नियामतखेड़ी.	903	464.30	1814.05
2	संस्था डेहरी उपड़ी से ग्राम बायखेड़ा नवीन संस्था उटावद में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।			169	127.22	650.905
3	संस्था नौगांव से ग्राम खामला व कलमखेड़ी को नवीन संस्था उटावद में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।			58	23.77	—
			योग ..	3877	1499.94	6575.165

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1188)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
  2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)
- बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), नालछा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—391.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., नालछा, विकासखण्ड नालछा, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 928, दिनांक 31 अगस्त 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदण्ड निर्देशित है।

उक्त मापदण्डों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. सराय, 2. माण्डव बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—नालछा	ग्राम नालछा, पोस्ट नालछा, तह. धरमपुरी, जिला धार.	नालछा, सोडपुर, भीलबरखेड़ा, आमखो, आवलिया, मोगराबाव, मवडीपुरा, उमरपुरा, हेमाबयड़ी, सुल्लीबयड़ी, पनाला, ज्ञानपुरा, मेहन्दीखेड़ी, गोलपुरा, कुराडिया, अम्बाझिरी.	2780	1024.93	2929.17
	1. परिणामी संस्था—सराय	ग्राम सराय, पोस्ट सराय, तह. धरमपुरी, जिला धार.	सराय, बैकल्या, बकानखेड़ा, चारधाटी, गुणेरा, ढेरबयड़ी, रातीतलाई, नरसिंगमाल, भीलकुण्डा, गामदा, कालीकिराय, जामनधाटी, भड़क्या, सेवरीमाल, जामनझिरी, कालीबैल, झिरन्या, ढाल, पलासमाल,	1103	199.54	897.25
	2. परिणामी संस्था—माण्डव	ग्राम माण्डव, पोस्ट माण्डव, तह. धरमपुरी, जिला धार.	माण्डव, कनडीपुरा, जामन्या, सागर, लम्बातालाब, झाबरी, नन्दलालपुरा, रामगढ़, तीतीपुरा, मालीपुरा, बंधाव, अम्बापुरा, बड़िया, उण्डाखो, कालीधाटी, चिकली.	1147	181.66	947.01
योग ..				5030	1406.13	4773.43

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथारिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।  
(G-1189)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), नीमखेड़ा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—392.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., नीमखेड़ा, विकासखण्ड तिरला, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 954, दिनांक 30 जनवरी 1995 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. आमल्याभेरु, 2. कुंआ बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता (3)	कार्य क्षेत्र के ग्राम (4)	सदस्य संख्या (5)	ऋण व्यवसाय (6)	कृषि भूमि (हेक्टेयर में) (7)
(1)	(2)					
1	प्रभाविती संस्था— नीमखेड़ा	ग्राम नीमखेड़ा, पोस्ट नीमखेड़ा, तह. धार, जिला धार.	नीमखेड़ा, सोडल्याखुर्द, कुंडला, खरबारी, कामता, अंजनाई, ढिंगलीपुरा, भसमगढ़, कछावदा, रेहटिया, सांगवी, पर्वतपुरा, सतीपुरा मवडीपुराखुर्द, शिवसिंगपुरा, पाठभोंगा, बेडिया, खिरड, बड़ाकलां, आमला, गढ़, गुवाड़ी, बड़लीपुराकला, मीनाखेड़ी, गाढ़ाघाट, गोलपुरा, नीमटोका, सादडियाकुंआ, खानपुरा, देवीपुरा, भुवादा, जुनापानी।	1605	651.87	1902.105
1.	परिणामी संस्था— आमल्याभेरु	ग्राम आमल्याभेरु, पोस्ट तिरला, तह. व जिला धार.	आमल्याभेरु, चाकल्या, घोड़ावाव, मवडीपुरा, आम्बापुरा, बालदीपुरा, भूतिवावडी, भूरीमाल, चमारकुंआ, आम्बाकुंडिया, धोलाहनुमान, बोरीकुण्डाल, करेणी, सियारी, माण्डली, तेलीपुरा, कोकलझिरी, खिडकियाकला, खिडक्याखुर्द, बड़लीपुराखुर्द, डडीयाला, बाकलीकला, बाकलीखुर्द, कुण्डी सेमलीपुरा, सुरजपुरा, बौरी, जोड़वा।	1053	494.18	1755.145
2.	परिणामी संस्था— कुंआ	ग्राम कुंआ, पोस्ट उमरबन, तह. व जिला धार.	कुंआ, जामला, जामनपाटी, उकाला, बंधावकला, बरुखो, खेड़ी, लटामली, रंणगाव, मोहनपुरा, सिंधकुंआ, भरकुंआ।	1002	462.52	1574.466
योग ..				3660	1608.57	5231.716

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोक हित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दें कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।  
(G-1190)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]  
प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या। (बी-पैक्स), केसूर

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-393.- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., केसूर, विकासखण्ड धार, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 31 अगस्त 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था क्रमशः द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 02 नवीन संस्था क्रमशः 1. रामपुर, 2. खेरोद बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—केसूर	ग्राम केसूर, पोस्ट केसूर, तह. व जिला धार.	केसूर, कंडारिया, बगड़ीताज, बिजुर, मोलानी, सादलपुर, हरसोरा, सरवानिया, संगेसरा, जुहावदा, माचकदा, बडोदिया.	1932	426.06	6517.25
1.	परिणामी संस्था—रामपुर	ग्राम रामपुर, पोस्ट अनारद, तह. व जिला धार.	रामपुर, बालोदाबुजुर्ग, भिडोताखुर्द, गवला, खिलेडी, अकोलिया, गोविंदपुरा.	615	81.01	2957.074
2.	परिणामी संस्था—खेरोद	ग्राम खेरोद, पोस्ट खेरोद, तह.व जिला धार.	खेरोद, अंतराय (व चौकीसेवरा वनग्राम), मुसावदा,	656	61.19	2562.807
योग ..						
				3203	568.26	12037.131

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोक हित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी

व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।  
(G-1191)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]  
प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), निसरपुर

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-394.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., निसरपुर, विकासखण्ड निसरपुर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 22 मार्च 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय-सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. कोणदा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— निसरपुर	कुक्षी बड़वानी हायवे, ग्राम निसरपुर, पोस्ट निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार.	निसरपुर, कोठड़ा, करोंदिया, कटनेरा, रसवा, रेकटी, देशवालिया.	1589	710.30	2228.274
1.	परिणामी संस्था— कोणदा	ग्राम कोणदा, पोस्ट कोणदा, कोणदा, दुगांवा, नवादपुरा, डेहर, तह. कुक्षी, जिला धार,	पिपरीपुरा, मवडीपुरा, चदनखेड़ी नवपाटी.	1249	300.00	1286.217
योग ..						
2838      1010.30      3514.491						

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोक हित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1192)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), नौगांव

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—395.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., नौगांव, विकासखण्ड धार, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 144, दिनांक 5 जनवरी 1961 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. देदला बनायी जाना है। संस्था के ग्राम खामला व कलमखेड़ी को संस्था दिग्ठान से पृथक हो रही नवीन संस्था उटावद में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :-

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—नौगांव	तुलसी मंदिर के सामने नौगांव, जिला धार.	नगर पालिका क्षेत्र, ग्राम नौगांव, मतलबपुरा, मगजपुरा, ब्रह्माकुंडी, देलमी, बगड़ीतुर्क उत्तरसी.	1841	1021.10	4120.174
	1. परिणामी संस्था—देदला	ग्राम देदला, पोस्ट देदला, तह व देदला जिला धार.	देदला, धरावरा, रानीपुरा, जम्बुरखेड़ी.	1188	667.59	2847.843
	संस्था नौगांव का ग्राम खामला व कलमखेड़ी को नवीन संस्था उटावद में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।			63	56.37	230.77
				187	121.01	427.67
			योग ..	3279	1866.07	7671.462

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोक हित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1193)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), नागदा

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—396.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, विकासखण्ड बदनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 10627, दिनांक 20 दिसम्बर 1957 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. सनोली बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—नागदा	ग्राम नागदा, पोस्ट नागदा, तह. बदनावर जिला धार.	नागदा, दौलतपुरा, माकनी, छायनखुर्द, गोपालखेड़ी, पंचमुखी, कटलावदा, बामन्दाकला, कडोदखुर्द, खण्डीगारा.	1533	1082.27	3014.914
1.	परिणामी संस्था—सनोली	ग्राम सनोली, पोस्ट खण्डीगारा, तह. बदनावर जिला धार.	सनोली, खजुरिया, दत्तीगारा, बामंदाखुर्द, गोलावदा, भीमपुरा.	830	630.41	1919.333
			योग ..	2363	1712.68	4934.247

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1194)

धारा, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), बरमंडल

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—397.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., बरमंडल, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 10 सितम्बर 1992 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. खुटपला बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)						
क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—बरमंडल	ग्राम बरमंडल, पोस्ट बरमंडल, तह. सरदारपुर, जिला धार.	बरमंडल, बरखेड़ा, चुन्यागढ़ी, नहारखोदरा, नहारखाली, साजलिया लालाखाली, बरमखेड़ी, पचरुंडी, पडुनीकला, पडुनीखुर्द, धनतलाव, भैरुपाड़ा.	1674	677.56	7108.35
	1. परिणामी संस्था—खुटपला	ग्राम खुटपला, पोस्ट खुटपला, तह. सरदारपुर, जिला धार.	खुटपला, चंदोड़िया, वणी, कोटड़ाकला, चाकल्या, कुण्डाल, रेतीखेदरा, सेमलखेड़ी, देदला, वेलजीपाड़ा, फुलकीपाड़ा, जुलवान्या राताकोट, कुलडीपाड़ा.	1423	313.47	5106.050
				योग ..	3097	991.03 12214.400

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1195)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत] प्रति,

1. सदस्य (समस्त)

2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), राजोद

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-398.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., राजोद, विकासखण्ड सरदारपुर, जिला धार पंजीयन क्रमांक 10644, दिनांक 24 मई 1958 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. संदला बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—राजोद	ग्राम राजोद, पोस्ट राजोद, तह. सरदारपुर, जिला धार.	राजोद, आनंदखेड़ी, ईमलीपाड़ा, उमरेला, कचनारिया, किलोली, खेड़ीपाड़ा, खेरखेड़ा, गुलरीपाड़ा, गोन्दीखेड़ा, झिन्झोटा, तीनपिली दात्यापाड़ा, देवगढ़, धोलगढ़, नंदलई, नवापाड़ा, निपावली, मोयाखेड़ा, रसान्या, राजघाटा, रामखेड़ा, रुपापाड़ा, वाक्यापाड़ा, शंकरपुरा, साजोद, हनुमंत्या।	1698	788.57	3242.689
	1. परिणामी संस्था—संदला	ग्राम संदला, पोस्ट राजोद, तह. सरदारपुर, जिला धार.	संदला, अकोलिया, काचरोटिया, कुण्डालपाड़ा, खाकरियाघाट, चोकिरुण्डा, छायन, छितरीपाड़ा, झिंझापाड़ा, टीमचखेड़ा, देवीखेड़ा, धयडिया, नानणा, पटोलिया, पांचगोवड़ा, बगासा, बंसलाई, बीड़पाड़ा, रुणी, सलवा, सलवाखेड़ी सारोटी, सिन्दुरिया, हात्यापाड़ा।	1110	304.51	1288.452
			योग ..	2808	1093.08	4531.141

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथार्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1196)

धारा, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), खण्डलाई जागीर.

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—399.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डलाई, विकासखण्ड मनावर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 140, दिनांक 22 मार्च 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित हैं।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. बोरलाई बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— खण्डलाई	ग्राम खण्डलाई जागीर, पोस्ट खण्डलाई जागीर, तह. मनावर, जिला धार.	खण्डलाई जागीर, उदियापुर, साला, राजुखेड़ी, पिपल्याखुर्द, मुहाली, मोराड, जलखौं।	1814	618.10	3954.011
1.	परिणामी संस्था— बोरलाई	ग्राम बोरलाई, पोस्ट खण्डलाई जागीर, तह. मनावर, जिला धार.	बोरलाई, चिराखान, अंडियाव, अवराल, सीतापुरी, देवरा, ब्राह्मणपुरी, टेमरिया।	1254	424.37	2422.948
				योग ..	3068	1042.47 6376.958

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पुरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1197)

धारा, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी—पैक्स), कुक्षी।

क्र.—पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—400.— एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., कुक्षी, विकासखण्ड कुक्षी, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 831, दिनांक 10 सितम्बर 1992 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. निमथल बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—कुक्षी	सिंधाना रोड कुक्षी, पोर्ट कुक्षी, तह. कुक्षी, जिला धार.	कुक्षी कापसी (धनोरा, चिलवा, कापसीपुरा), कुण्डारा, विरलय, रामपुरा.	1817	734.45	4240.549
1.	परिणामी संस्था—निमथल	ग्राम निमथल, पोर्ट तलवाड़ा, तह. कुक्षी, जिला धार.	निमथल, बडग्यार, टेकी लोहारा, झरदा, झरदी	1338	318.69	2620.447
योग ..				3155	1053.14	6860.996

संस्था, मापदंडों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दें कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1198)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समर्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समर्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), गिरवान्या

क्र.-पंजी.-लैम्प्स पुन.-2025-401.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., गिरवान्या, विकासखण्ड कुक्षी, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 10629, दिनांक 17 जनवरी 1958 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2023-680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख-विधि-2017-3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक-1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदण्ड निर्दिष्ट है।

उक्त मापदण्डों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. तालनपुर बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था— गिरवान्या	ग्राम गिरवान्या, पोस्ट गिरवान्या, तह. कुक्षी, जिला धार.	गिरवान्या, मोगरा, भीमपुरा, कवडियाखेड़ा, कुर्दिंगपुरा, रोजा.	1704	169.35	2627.462
	1. परिणामी संस्था— निमथल	ग्राम तालनपुर, पोस्ट तालनपुर, तह. कुक्षी, जिला धार.	तालनपुर, डोंगरगांव, आली (सुस्तीपुरा), हल्दी, ढोल्या (रायपुरिया), चिकली	1849	196.87	2766.336
			योग ....	3553	366.22	5393.798

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दें कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।  
(G-1199)

धार, दिनांक 6 मार्च 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 की उपधारा (3),(5) व (12) के अंतर्गत]

प्रति,

1. सदस्य (समस्त)
2. अमानतदार/लेनदार (समस्त)

बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. (बी-पैक्स), चिखल्दा

क्र.-पंजी.—लैम्प्स पुन.—2025—402.— एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., चिखल्दा, विकासखण्ड निसरपुर, जिला धार, पंजीयन क्रमांक 903, दिनांक 22 मार्च 1976 का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। यह पुनर्गठन की कार्यवाही आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2023—680, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023 से प्राप्त निर्देशों एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया व समय—सारणी के अनुक्रम में किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक साख—विधि—2017—3159, भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2017 एवं परिपत्र क्रमांक 14, दिनांक 3 जनवरी 2023 तथा क्रमांक—1265, भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 से मापदंड निर्देशित है।

उक्त मापदंडों के अनुक्रम में संस्था द्वारा संस्था के पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर जिलास्तर पर कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पैक्स पुनर्गठन कमेटी की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 01, दिनांक 7 अगस्त 2023 से पैक्स चिन्हांकन में उक्त संस्था का अनुमोदन प्राप्त है।

संस्था द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार संस्था में पुनर्गठन पश्चात् वर्तमान संस्था के कार्यक्षेत्र के कुछ ग्राम कम कर 01 नवीन संस्था 1. लिंगवा बनायी जाना है। जिसमें कार्यक्षेत्र के ग्राम, सदस्य संख्या, ऋण व्यवसाय, कृषि भूमि, प्रभाविती संस्था से परिणामी संस्था में हस्तांतरित होना प्रस्तावित है :—

(ऋण व्यवसाय राशि रु. लाखों में)

क्र.	संस्था का नाम	पता	कार्य क्षेत्र के ग्राम	सदस्य संख्या	ऋण व्यवसाय	कृषि भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभाविती संस्था—चिखल्दा	ग्राम चिखल्दा, पोस्ट चिखल्दा, तह. कुक्षी, जिला धार.	चिखल्दा, कडमाल, खापरखेड़ा, नर्मदानगर.	915	540.05	2734.378
1.	परिणामी संस्था—लिंगवा	ग्राम लिंगवा, पोस्ट लिंगवा, तह. कुक्षी, जिला धार.	लिंगवा, बेडवाल्या, निम्बोल, खण्डवा, दाहोद, पिपल्या.	1426	651.72	3148.856
योग ..				2341	1191.77	5883.234

संस्था, मापदण्डों में आंशिक कमी को आगामी 3 वर्षों में पूरा करेगी।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(3) में लोकहित, प्रभावित सोसायटी के सदस्यों के हित में, उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु संस्था से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार पुनर्गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(5) के पालन में उपधारा (3) के अधीन प्रावधानित है कि किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उन समस्त व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे यह विकल्प दे कि वे या जो परिणामी सोसायटी या सोसायटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसायटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करें। विकल्प कार्यालय में श्री कपिल चौहान, सहायक ग्रेड 03 को समयावधि में प्रस्तुत करें। विकल्प सूचना जारी होने की तारीख के एक मास के भीतर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह सूचना—पत्र आज दिनांक 6 मार्च 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(G-1200)

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश  
धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उपनिमय 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्रमांक—परिसमापन—2025—Q.— कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्र. व दि.	संशोधित आदेश क्र. व दि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जिला वृक्ष सहकारी यूनियन मर्या., धार	807/11.01.1991	2536/20.5.2022	421/6.3.2025
2	श्री गणेश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., माण्डव.	1614/28.08.2015	2209/22.4.2021	421/6.3.2025
3	आदर्श आदि. बुनकर सहकारी संस्था मर्या., मांडव	75/24.03.1960	942/18.4.2017	421/6.3.2025
4	निर्जला बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोठीसोडपुर.	1291/15.11.2011	12/2.1.2019	421/6.3.2025
5	श्री नाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सागौर.	696/13.10.1987	942/18.4.2017	421/6.3.2025
6	शिव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर.	1062/24.03.2001	2359/23.4.2021	421/6.3.2025
7	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., रायण	1219/01.08.2006	2352/23.4.2021	421/6.3.2025
8	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., लक्ष्मीपुर	1558/13.10.2014	2354/23.4.2021	421/6.3.2025
9	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., भानगढ़	613/22.10.1984	124/19.1.2023	421/6.3.2025
10	ईंट भट्टा सहकारी संस्था मर्या., महापुरा (सरदारपुर).	931/11.03.1994	125/19.1.2023	421/6.3.2025
11	श्री राजेन्द्र सुरी औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़.	1221/21.01.2007	124/19.1.2023	421/6.3.2025
12	श्री राज राजेश्वरी औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़.	1220/21.01.2007	124/19.1.2023	421/6.3.2025
13	उत्तम रवामी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., राजगढ़.	1343/1.09.2013	124/19.1.2023	421/6.3.2025
14	श्री शुभ धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़.	1637/27.2.2016	124/19.1.2023	421/6.3.2025
15	एकलव्य आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., आनंदखेड़ी	1271/3.1.2011	124/19.1.2023	421/6.3.2025
16	विनायक वेयर हाउस सहकारी संस्था मर्या., राजगढ़.	1496/20.02.2014	124/19.1.2023	421/6.3.2025
17	श्री सिद्धि विनायक पर्यटन सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद.	1660/01.08.2016	124/19.1.2023	421/6.3.2025
18	वंदना स्टोन क्रेशर सहकारी संस्था मर्या., तिरला (राजगढ़) जिला धार.	811/27.3.1992	124/19.1.2023	421/6.3.2025
19	शारदा गुड़ खाण्डसारी सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद (सरदारपुर).	243/21.2.1964	124/19.1.2023	421/6.3.2025

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है।

(G-1201)

भूदीप कुमार सक्सेना, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

धार, दिनांक 7 मार्च 2025

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्रमांक-परिसमापन-2025-Q.- कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र. (1)	समिति का नाम (2)	पंजीयन क्रमांक व दिनांक (3)	परिसमापन का संशोधित आदेश आदेश क्र. व दि. क्र. व दि. (4)	परिसमापन का संशोधित आदेश आदेश क्र. व दि. क्र. व दि. (5)
1	समर्थ साख सहकारी संस्था मर्या., धामनोद	1466/8.01.2014	3329/29.6.2022	419/6.3.2025
2	श्री धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., राजोद	1659/1.08.2016	124/19.1.2023	419/6.3.2025
3	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिंगनोद	548/6.12.1963	124/19.1.2023	419/6.3.2025
4	आदिवासी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., दत्तीगांव	325/21.03.1967	124/19.1.2023	419/6.3.2025
5	ईट कवेलु सहकारी संस्था मर्या., धरमपुरी	698/17.11.1987	1633/4.10.2005	419/6.3.2025
6	वंदेमातरम साख सहकारी संस्था मर्या., सागौर	1473/8.01.2014	2210/22.4.2021	419/6.3.2025
7	निमाड़ मालवा साख सहकारी संस्था मर्या., पीथमपुर	1571/7.11.2014	2211/22.4.2021	419/6.3.2025
8	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चंदरपुरा	1564/20.10.2014	2213/22.4.2021	419/6.3.2025
9	बैंकर्स गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार	593/9.07.1984	4801/28.2.2018	419/6.3.2025
10	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचलाना (धार)	686/25.07.1987	2525/20.5.2022	419/6.3.2025

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 7 मार्च 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया।

(G-1202)

आर. एम. पढारकर, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025—फाल्गुन 30, शक 1946

---

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )